रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2010/चैत्र 23, 1932

No. 191] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2010/CHAITRA 23, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2010

विषय : चीन जन. गण. से भारत में हुए सोडा-ऐश के आयातों से संबंधित रक्षोपाय शुल्क संबंधी जांच-समीक्षा कार्यवाहियो का अंतिम जांच परिणाम ।

सा.का.नि. 318(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 को ध्यान में रखते हुए,–

क. प्रक्रिया

1. चीन जन. गण. से संवर्धित आयातों के कारण बाजार विकृति के उत्पन्न हुए खतरे से सोडा-ऐश के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के लिए चीन से भारत में हुए सोडा ऐश के आयातों पर निरंतर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), तीसरा तल, पंकज चैम्बर्स, प्रीत विहार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 द्वारा सीमाशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली 2002 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था । इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है, सीमाशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली 2002 के नियम 6 के अंतर्गत चीन जन. गण. से भारत में हुए सोडा ऐश के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरू करने की सूचना दिनांक 19 फरवरी, 2010 को जारी की गई थी और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

2. सूचना की एक प्रति नई दिल्ली स्थित दूतावास के जरिए चीन जन. गण. की सरकार को भेजी गई थी । सूचना की एक प्रति नीचे सूचीबद्ध समस्त ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी : -

घरेलू उत्पादक

1. टाटा कैमिकल्स लि.
लीला बिजनेस पार्क
अँधेरी-कुर्ला रोड, अँधेरी (पू.)
मुम्बई-400059

2. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.
बिरला सागर
पोरबन्दर-360576
गुजरात

3. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि.
बी-38, इंस्टीट्यूशनल एरिया
सेक्टर-1, नोएडा-201301

4. डीसीडब्ल्यू लि.
" निर्मल ", तीसरा तल
नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021

5. निरमा लि.
एनसीसी कार्यालय
कृष्णानगर
वाधवाड़ी रोड
भावनगर-364002, गुजरात

अन्य भारतीय उत्पादक

1. तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.
ईस्ट कोस्ट सेंटर
534, अन्नासलाई
टेनामपेट, चेन्नई-600018

आयातक

1. गुजरात गार्जियन लि.
ग्राम-कोंढ
वालिया रोड
प्लांट राज्य राजमार्ग सं. 13
अंकलेश्वर, भरूच-393001

2. फ्लोट ग्लास इंडिया लि.
टी-7, एमआईडीसी
इंडस्ट्रियल एरिया
तलोजा, महाराष्ट्र

3. अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि.
अलेम्बिक रोड
बड़ौदा (वड़ोदरा)
गुजरात

4. दीपक नाइट्राइट लि.
नांदेसारी,
4/12 कैमिकल कॉम्प्लैक्स
जीआईडीसी, नांदेसारी,
बड़ौदा (वड़ोदरा)
गुजरात

5. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लि.
रिशरा, पश्चिम बंगाल

6. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि.
दक्षिणा बिल्डिंग
8वाँ तल, प्लॉट सं. 2
सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर
नवी मुंबई

7. प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजिन एंड हेल्थ केयर
मंडी दीप प्लांट एल एंड सी-विनिर्माण
प्लॉट सं. 182, मंडी दीप
मध्य प्रदेश

8. अलब्राइट मोरारजी एंड पण्डित लि.
अम्बरनाथ, जिला- थाणे
महाराष्ट्र

9. एड्वाटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि., धनाली
ग्राम धनाली
कड़ी जिला, मेहसाना
गुजरात

10. सेंट गोबेन ग्लास लि.
श्रीपेरूम्बदूर, तमिलनाडु

निर्यातक

1. शेन्डाँग हाहुआ ग्रुप
शेन्डाँग हाहुआ ग्रुप कं. लि.
डेवलप जोन ऑफ़ हाहुआ
वेईफांग सिटी, शेन्डाँग-262737
चीन

2. हेबेई टेंग्शन सैन्यो अल्कली इंडस्ट्री कं.
नान्पु डेवलपमेंट एरिया
टेंग्शन, हेबेई
चीन
पोस्ट कोड- 063305

3. किंघाई अल्कली प्लांट (जेजियांग ग्लास)
चीन का किंघाई दिल्ली म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल पार्क
जिप-817000

4. तियान्जिन सोडा ऐश पार्क
संख्या 87, जिन्हुआ रोड
टंग्गु, जिला तियान्जिन
चीन

5. जिन्शान कैमिकल कं.
हेनान प्रोविंस में चीन की जेंग्जोउ सिटी
जेंग्जोउ सिटी, फुशोशान स्ट्रीट 87, चीन

3. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों,आयातकों तथा निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ उपलब्ध करायी गयी थीं और उन्हें उत्तर देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था ।

4. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार का अनुरोध किया गया था । शीघ्र जांच की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार किया गया था । समस्त हितबद्ध पक्षकारों के नाम और पते निम्नानुसार हैं :

i. चीन जन. गण. का दूतावास, 50 डी, शांति पथ, नई दिल्ली
ii. अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), तीसरा तल, पंकज चैम्बर्स, प्रीत विहार कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, विकास मार्ग, दिल्ली-92
iii. टीपीएम सॉलिसिटर्स एंड कन्सल्टेंट्स, के-3/ए, साकेत, नई दिल्ली
iv. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि., बी-38, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-1, नोएडा-201301
v. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि., बिरला सागर, पोरबन्दर-360576, गुजरात
vi. टाटा कैमिकल्स लि., लीला बिजनेस पार्क, अँधेरी-कुर्ला रोड, अँधेरी (पू.), मुम्बई-400059
vii. डीसीडब्ल्यू लि., " निर्मल " , तीसरा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
viii. निरमा लि., एनसीसी कार्यालय, कृष्णानगर, वाधवाड़ी रोड, भावनगर-364002, गुजरात
ix. तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., ईस्ट कोस्ट सेंटर, 534, अन्नासलाई, टेनामपेट, चेन्नई-600018
x. शेन्डॉंग हाहुआ ग्रुप, शेन्डॉंग हाहुआ ग्रुप कं. लि., डेवलप जोन ऑफ हाहुआ, वेईफांग सिटी, शेन्डॉंग-262737, चीन
xi. हेबेई टेंग्शन सैन्यो अल्कली इंडस्ट्री कं., न्पु डेवलपमेंट एरिया, टेंग्शन, हेबेई, चीन, पोस्ट कोड- 063305
xii. किंघाई अल्कली प्लांट (जेजियांग ग्लास), चीन का किंघाई दिल्ली म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल पार्क, जिप-817000
xiii. तियान्जिन सोडा ऐश पार्क, संख्या 87, जिन्हुआ रोड, टंग्गु, जिला तियान्जिन, चीन
xiv. जिन्शान कैमिकल कं., हेनान प्रोविंस में चीन की जेंग्जोउ सिटी, जेंग्जोउ सिटी, फुशोशान स्ट्रीट 87, चीन
xv. गुजरात गार्जियन लि., ग्राम-कोंढ, वालिया रोड, प्लांट राज्य राजमार्ग सं. 13, अंकलेश्वर, भरूच-393001
xvi. फ्लोट ग्लास इंडिया लि., टी-7, एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, तलोजा, महाराष्ट्र

xvii. अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., अलेम्बिक रोड, बड़ौदा (वड़ोदरा), गुजरात

xviii. दीपक नाइट्राइट लि., नांदेसारी, 4/12 कैमिकल कॉम्प्लैक्स, जीआईडीसी, नांदेसारी, बड़ौदा (वड़ोदरा), गुजरात

xix. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लि., रिशरा, पश्चिम बंगाल

xx. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि., दक्षिणा बिल्डिंग, 8वॉ तल, प्लॉट सं. 2, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई

xxi. प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजिन एंड हेल्थ केयर, मंडी दीप प्लांट एल एंड सी-विनिर्माण, प्लॉट सं. 182, मंडी दीप, मध्य प्रदेश

xxii. अलब्राइट मोरारजी एंड पण्डित लि., अम्बरनाथ, जिला- थाणे, महाराष्ट्र

xxiii. एड्वाटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि., धनाली, ग्राम धनाली, कड़ी जिला, मेहसाना, गुजरात

xxiv. सेंट गोबेन ग्लास लि., श्रीपेरूम्बदूर, तमिलनाडु

xxv. यूपी ग्लास मैन्यूफैक्चर सिंडिकेट, 14 मोनापुरम, निकट गणेश नगर, फिरोजाबाद-283203, उ. प्र.

xxvi. असाही इंडिया ग्लास लि., 5वॉ तल, टॉवर-बी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, मेहरौली-गुड़गॉव रोड, गुड़गॉव-122002 (भारत)

xxvii. फेना (प्रा.) लि., ए-237, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020

xxviii. डिटर्जेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली क्षेत्र), 148, न्यू ओखला इंड. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110020

xxix. सेंट गोबेन, प्लॉट सं. ए-1, शिपकॉट इंड. पार्क, श्रीपेरूम्बुदूर- 602105, कॉचिपुरम जिला, तमिलनाडु

xxx. सासी-कैम, 59 व 60, डीएसआईडीसी इंड. कॉम्प्लैक्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020

xxxi. श्री यूनिकोन ऑर्गेनिक्स प्रा. लि., बीएस-3, एपीजे, 130, बम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-400023

xxxii. कैपेक्सिल, वाणिज्य भवन, इंटरनेशनल ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर, 1/1, वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता-700016

xxxiii. पोल्लाची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंड., आर. पी. कॉम्प्लैक्स, दूसरा तल, 14, बाल गोपालपुरम स्ट्रीट, पोल्लाची-642001

xxxiv. वसुंधरा रसायन लि., सी-104, एमआईडीसी इंड. एरिया, महेद, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र

xxxv. स्मौल स्केल डिटर्जेंट एंड सोप मैन्यू. एसोसिएशन, 43, यूरोपियन एसायलम लेन, कोलकाता-700016

xxxvi. पावर सोप लि., 62-बी, नॉर्थ बोआग रोड, टीनगर, चेन्नई-600017, भारत

xxxvii. शांतिनाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि., पी-15, कालाकर स्ट्रीट, कोलकाता-700007

xxxviii. एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लि., एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लि., 511/2/1, गॉव-रजोकरी, नई दिल्ली-110038

xxxix. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिटर्जेंट मैन्यू. एसोसिएशन, 511/2/1, गॉव-रजोकरी, नई दिल्ली-110038

xl. एस. कुमार डिटर्जेंट प्रा. लि., प्लॉट नं. 34, सेक्टर-2, इंड. एरिया, पीतमपुर-454775, जिला-धार, मध्यप्रदेश

xli. एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लि., 511/2/1, गॉव-रजोकरी, नई दिल्ली-110038

xlii. ए. आर. सल्फोनेट्स, 9, हेमंत बसु सरणी (20, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट), दूसरा तल, कुक एंड केल्वे बिल्डिंग, कोलकाता-700001

xliii. साई सल्फोनेट्स, 21, प्रिंसेप स्ट्रीट, दूसरा तल, कोलकाता-700072

xliv. ए आर स्टेन कैम. प्रा. लि., 9, हेमंत बसु सरणी (20, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट), दूसरा तल, कुक एंड केल्वे बिल्डिंग, कोलकाता-700001

xlv. हिन्द सिल्केट्स प्रा. लि., 3ए, ऑकलैण्ड प्लेस, पाँचवाँ तल, कोलकाता-700017

xlvi. टॉरस कैमिकल्स (प्रा.) लि., 318, स्वप्नलोक, 92/93, एस डी रोड, सिकन्द्राबाद-500003, आंध्र प्रदेश, भारत

xlvii. पी एंड जे क्रेटेकेम (प्रा.) लि. 318, स्वप्नलोक, 92/93, एस डी रोड, सिकन्द्राबाद-500003, आंध्र प्रदेश, भारत

xlviii. किशोर सन्स डिटर्जेंट्स प्रा. लि., 15-9-469, महबूबगंज रोड, हैदराबाद-500012

xlix. गोपाल एजेंसिज, गोण्डल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट-360004

l. जे. जे. पटेल इंड., गोण्डल रोड, बी/एच राजकमल पेट्रोल पम्प, वावडी, राजकोट-360004

li. श्री राम भरत कैमिकल्स एंड डिजर्टेंट्स (प्रा.) लि., 1/56, संजय गाँधी नगर, नोचीपलायम रोड, 46, पोधुर गाँव, इरोड-638002

lii. इंडियन कैमिकल मर्चेंट्स एंड मैन्यू. एसोसिएशन, 4, इंडिया एकसचेंज प्लेस, कोलकाता-700001

liii. अध्यक्ष, बल्क ड्रग मैन्यू. एसोसिएशन (इंडिया), सी-25, इंड. एस्टेट, सनतनगर, हैदराबाद-500018

liv. भारतीय लघु उद्योग परिषद्, 19/2, वनमाली नस्कर रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700060

lv. ऑल इंडिया ग्लास मैन्यू. फेडरेशन, 812, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

lvi. क्रिसेंट सिलिकेट, ए-45, गाने खडपोली एमाआईडीसी चिपलुन, जिला-रत्नागिरी-415604

lvii. गाँधी कैमिकल्स वर्क्स, एफ-41, विछवाल इंड. एरिया, बीकानेर-334006

lviii. चीन जन. गण. का वाणिज्य मंत्रालय, 2, डाँगचेंग ए स्ट्रीट, बीजिंग, चीन-100731

lix. मॉडर्न ग्लास इंड., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)

lx. आदर्श काँच उद्योग (प्रा.) लि., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)

lxi. एडवांस लैम्प कम्पोनेंट एंड टेबल वेयर्स प्रा. लि., ई-24, दूसरा तल, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

lxii. प्रगति ग्लास प्रा. लि., 111, धामजीशामजी इंड. कॉम्प्लैक्स, 9, एलबीएस कुर्ला (प.), मुम्बई-400070

lxiii. गोरामल हरिराम लि., 39, नजफगढ़ रोड इंड. एरिया, नई दिल्ली-110015

lxiv. रोहित सर्फेक्टेंट्स (प्रा.) लि., 117/एच-2/202, पांडु नगर, कानपुर-05

lxv. एस्ट्रल ग्लास प्रा. लि., आदिनाथ टॉवर्स " ए ", दूसरा तल, नैन्सी कालोनी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सामने, बोरीवली (पू.), मुम्बई-400066

lxvi. बीडीजे ग्लास इंड प्रा. लि., 1, किड स्ट्रीट, प्लेस कोर्ट, पहला तल, सूट-14ए, कोलकाता-700016

lxvii. इंडियन ग्लास मैन्यू. एसोसिएशन, बी-6, शिवालिक, नई दिल्ली-110017

lxviii. द डाइज एंड कैमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन, 4 मंदिर स्ट्रीट, कोलकाता-700073

lxix. हिप्पोलिन लि., " मधुवन ", चतुर्थ तल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006

lxx. द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डाइज एंड कैमिकल्स मर्चेंट्स एसो., 16, महाराणाप्रताप सरणी, दूसरा तल, कमरा सं. 5, कोलकाता-700001

lxxi. अथेना लौह एसो., 808, एल एंड टी, सेक्टर-18-बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075

lxxii. लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन, बी-6/10, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

lxxiii. श्री हरि इंड., 47, श्री वीरूभाई मा निवास, शास्त्री नगर स्क्वेयर, नागपुर-440008

lxxiv. महाराष्ट्र स्मॉल स्केल सोप, डिटर्जेंट एंड कास्मेटिक मैन्यू एसो., 47, श्री वीरूभाई मा निवास, शास्त्री नगर स्क्वेयर, नागपुर-440008

lxxv. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंड. लि., 2, रेडक्रॉस प्लेस, कोलकाता-700001

lxxvi. जगतजीत इंड. लि., प्लॉट सं. 78, सेक्टर-18, इंस्टी. एरिया, गुड़गाँव-122001

lxxvii. भारतीय लघु उद्योग परिषद्, 19/2, वनमाली नस्कर रोड, दूसरा तल, कोलकाता-700060

lxxviii. पीताम्बर ग्लास वर्क्स, चमेलीबाग, आगरा रोड, फिरोजाबाद-283203

lxxix. अशोक एनामेल एंड ग्लास वर्क्स प्रा. लि., 34-ए, मेटकॉफ स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता-700013

lxxx. एडवांस लैम्प कम्पोनेंट एंड टेबल वेयर्स प्रा. लि., ई-24, दूसरा तल, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

lxxxi. हैल्डिन ग्लास गुजरात लि., 9, गायत्री कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, मित्तल इंड. एस्टेट नं. 5 के पीछे, अँधेरी कुर्ला रोड, मरोल नाका, अँधेरी (पू.), मुम्बई-400059

lxxxii. एजीआई ग्लासपैक, 2, रेडक्रॉस, कोलकाता-700001

lxxxiii. पेरामल ग्लास, पेरामल टॉवर, पेनिन्सिला कॉर्पोरेट पार्क गणपतराय कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

lxxxiv. गणेश बीड्स इंड., धौलपुरा, इंड. एरिया के निकट, आगरा रोड, फिरोजाबाद-283203

lxxxv. श्री जगदम्बा इंड., बी-13, इंड. एरिया, फिरोजाबाद-283203

lxxxvi. एम्पायर इंड. लि., एम्पायर हाउस, 414, सेनापति बापत, लोअर परेल, मुम्बई400013

lxxxvii. आदर्श कॉच उद्योग (प्रा.) लि., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)

lxxxviii. मॉडर्न ग्लास इंड., कोल साइडिंग रोड, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)

lxxxix. भारत ग्लास ट्यूब लि., 501, पाँचवाँ तल, एस्ट्रोन टॉवर, सैटेलाइट, अहमदाबाद-380015

5. एक सार्वजनिक सुनवाई 19 मार्च, 2010 को की गई थी । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई 29 मार्च, 2010 को की गई थी । जिन हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों पर उत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया था ।

6. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोधों में या उत्तरों में व्यक्त किए गए समस्त विचारों की जाँच की गई थी और उन पर उचित निर्धारण करने में ध्यान दिया गया है । चूँकि ऐसे कई हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्होंने अपने उत्तर दायर किए हैं इसलिए उनके तर्कों और उनसे उत्पन्न मुद्दों पर

संक्षिप्तता की वजह से हितबद्ध पक्षकार के नाम का विशिष्ट उल्लेख किए बिना कार्रवाई की गई है ।

7. घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों में मौके पर जाकर किया गया था । इसके अलावा, लागत संबंधी आंकड़ों का सत्यापन और लागत लेखाकार द्वारा उसका प्रमाणन भी किया गया था । सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।

भारत में घरेलू उद्योग के विचार

8. घरेलू उत्पादकों ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :

9. रक्षोपाय शुल्क लागू करने के बाद भी चीन से आयात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिक रहा है । चीन से आयात इस तथ्य के बावजूद हुए हैं कि देश आत्मनिर्भर है । पारंपरिक तौर पर घरेलू उत्पादकों का हिस्सा घरेलू माँग के 85-90% के बीच रहा था जो अब घटकर लगभग 70% रह गया है । शेष की पूर्ति आयात द्वारा की जा रही है ।

10. चीन से अयात अन्य देश की कीमत से कम कीमत पर हुआ है । चीन से निर्यात कीमत निरंतर कम हो रही है । सोडा ऐश के आयात पर सीआईएफ मूल्य में दिसम्बर, 2009 तक गिरावट आई है । सीआईएफ मूल्य में गिरावट काफी अधिक हुई है जिससे रक्षोपाय शुल्क निष्प्रभावी बन गया है ।

11. चीन में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है जो उनकी कम माँग से काफी अधिक हैं । चीन के सोडा ऐश उद्योग के पास 26.00 मि. मी. टन की क्षमता है जो अप्रैल, 2010 तक बढ़कर 28 मि. मी. टन हो जाने की संभावना है । चीन में घरेलू माँग का परिदृश्य बदल गया है जिससे भारी बेशी मात्रा बच गयी है ।

12. भारत निर्यात का केंद्र बना हुआ है । चीन में नई क्षमताएँ स्थापित हुई हैं और वर्ष 2010 में और नई क्षमताएँ शुरू होने की संभावना है ।

13. मै. टाटा कैमिकल, मै. जीएचसीएल, मै. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि., मै. डीसीडब्ल्यू लि. तथा मै. निरमा लि. का उत्पादन 100% है और इस प्रकार वे घरेलू उद्योग हैं ।

14. लाइट सोडा तथा डेन्स सोडा दोनों का आयात चीन से किया जाता है और इनका विनिर्माण घरेलू उद्योग करता है । अतः दोनों संचयी रूप से विचाराधीन उत्पाद हैं ।

15. रक्षोपाय शुल्क के कारण उत्पादन में सुधार हुआ है परंतु वर्ष 2009 में उत्पादन 2008 के उत्पादन से कम रहा है ।

16. वर्ष 2008 में हुई कुल बिक्रियाँ वर्ष 2009 की कुल बिक्रियों से कम रही हैं ।

17. क्षमता उपयोग की प्रवृत्ति उत्पादन जैसी रही है क्योंकि क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

18. उत्पादकता तथा लाभ में गिरावट जारी है क्योंकि चीन से आयात कीमत घट रही है । घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की बिक्री करने में कठिनाई महसूस कर रहा है जैसाकि उच्च मालसूची से पता चलता है ।

19. रोजगार घट रहा है ।

20. घरेलू उद्योग को क्षति चीन से हुए कम कीमत पर आयात के कारण हुई है ।

21. बाजार विकृति का खतरा अभी भी मौजूद है और यदि रक्षोपाय शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो घरेलू उद्योग को उत्पादन में घाटे, बिक्री घाटे, कम क्षमता उपयोग, रोजगार की हानि, बाजार हिस्से के नुकसान के रूप में घाटा होगा और यदि घरेलू उद्योग चीन की कीमत की बराबरी करता है तो उद्योग को भारी घाटा होगा और सोडा ऐश उद्योग को चलाना व्यवहार्य नहीं रह जाएगा ।

22. कड़ाके की सर्दी के कारण जनवरी-फरवरी 2010 के दौरान कीमत में कुछ वृद्धि हुई जिससे परिवहन और उत्पादन बाधित हुआ । इसके अलावा, दिसम्बर-जनवरी, 2010 में चीन में रही स्थानीय छुट्टियों के कारण आपूर्ति में आई बाधा से कीमत में वृद्धि हुई । मार्च में कीमतें घटकर पूर्ववर्ती स्तर पर आ गयी । इसके अलावा, दीर्घावधिक अनुमान यह है कि चीन की कीमतें कम रहेंगी ।

23. अतः अनुरोध है कि रक्षोपाय शुल्क 19 अप्रैल, 2010 से आगे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क के अभाव में क्षति होगी ।

चीन की सरकार तथा निर्यातकों के विचार

24. अपने परामर्शदाता के जरिए चीन की सरकार तथा अन्य ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं : -

25. कोई जांच शुरू करने से पूर्व सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के अनुसार परामर्श किए जाने चाहिए थे । उन्होंने तर्क दिया है कि डब्ल्यू टी ओ में चीन के शामिल होने से संबंधित प्रोटोकॉल (सीएपी) के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय (टी पी एस एस एम) लगाने हेतु यह जांच है । सीएपी के अनुच्छेद 16.1 में पूर्व परामर्श अपेक्षित है। अनुच्छेद 16.1 निम्नानुसार है : -

16. परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र

1. ऐसे मामलों में जिनमें चीन के मूल के उत्पादों का डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य के भू-भाग में आयात ऐसी संवर्धित मात्रा मे या ऐसी स्थितियों में किया जा रहा है जिससे समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार विकृति उत्पन्न हो गयी है या उसका खतरा उत्पन्न हो गया है, इस प्रकार से प्रभावित डब्ल्यूटीओ सदस्य पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान प्राप्त करने की दृष्टि से चीन के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है जिसमें यह भी शामिल है कि क्या प्रभावित डब्ल्यूटीओ सदस्य को रक्षोपाय करार के अंतर्गत उपाय लागू करने की पहल करनी चाहिए । इस प्रकार के किसी अनुरोध को रक्षापाय समिति को तुरंत अधिसूचित किया जाएगा ।"

26. तथापि, चीन की सरकार को यह नोट करते हुए खेद है कि जाँचकर्ता प्राधिकारी जाँच की शुरूआत से पूर्व परामर्श का ऐसा अवसर प्रदान करने में विफल रहे हैं । जाँच की शुरूआत से पूर्व से लेकर आज की तारीख तक (प्रारंभिक जाँच परिणामों के अनुमोदन के बाद भी) चीन की सरकार को उचित माध्यम से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । चीन की सरकार की राय में यह न केवल डब्ल्यूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, अपितु जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किए जाने वाले दायित्वों के भी प्रतिकूल है । परिणामतः इससे चीन की सरकार अपने अधिकारों से सर्वथा वंचित हुई है ।

27. सीएपी के अनुच्छेद 16.1 में उल्लिखित " पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान प्राप्त करने की दृष्टि से जिसमें यह भी शामिल है कि क्या प्रभावित डब्ल्यूटीओ सदस्य को रक्षोपाय करार के अंतर्गत उपाय लागू करने की पहल करनी चाहिए " शब्दों का स्पष्ट तात्पर्य यह निकलता है कि पूर्व परामर्श के बिना कोई जाँच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी ।

28. इस विशेष मामले में भारत ने सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत चीन के साथ परामर्श की माँग नहीं की थी । डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य के रूप में डब्ल्यूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना होता है और कोई जाँच करते समय लिए जाने वाले दायित्वों की किसी भी रूप में अनदेखी नहीं की जाएगी या उनमें कमी नहीं की जाएगी । चूँकि चीन की सरकार को सीएपी के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत परामर्श का कोई अवसर नहीं दिया गया है इसलिए टीपीएसएसएम जाँच तुरंत समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

29. उन्होंने रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति के चीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख द्वारा 1 नवंबर, 2002 के पत्र से उद्धरण प्रस्तुत किया है :

"मैं डब्ल्यूटीओ के किसी अन्य सदस्य द्वारा चीन के शामिल होने से संबंधित प्रोटोकॉल के पैरा-16 के अंतर्गत परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र का सहारा लेने के बारे में अपनी भारी चिंता व्यक्त करना चाहूंगा । परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय तंत्र डब्ल्यूटीओ के भेदभाव रहित मूल सिद्धांत के खिलाफ है और चीन इस तथ्य को नोट करता है कि चीन के शामिल होने से संबंधित कार्यदल के कई सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि उक्त तंत्र का सहारा लेने में अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी और यह कि इसे ऐसी अति विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाएगा, जिनमें व्यापार उपचार के अन्य उपाय लागू नहीं होते हैं । हमें आशा है कि डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्य इस समझौते का पालन करेंगे । इस प्रकार के इस तंत्र का बार-बार उपयोग करने से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका लेने में चीन के उत्साह में बाधा ही आएगी ।"

30. उन्हें उत्तर दायर करने के लिए 30 दिन का अनिवार्य समय भी नहीं दिया गया है और इस प्रकार जांच की शुरूआत कानूनन दोषपूर्ण है ।

31. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आयातों में गिरावट आ रही है और इस प्रकार आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । वर्ष 2009 की ति3 तथा ति4 में चीन से आयातों में गिरावट आई है । जनवरी, 2010 में भारत को मात्र 2000 मी.ट. का निर्यात हुआ था । इसके अलावा, अन्य देशों से हुए आयातों में वृद्धि हुई है ।

32. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्से में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ।

33. सोडा ऐश का विनिर्माण करने वाली कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया है ।

34. ऐसा कोई मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव का पता चल सके । इसके अलावा, आवेदन में किसी कीमत प्रभाव की पुष्टि नहीं की गई है।

35. चीन के पास बेशी क्षमताएं होने आदि के बारे में दावे अपुष्टिकृत हैं ।

36. भारतीय बाजार में चीन से हुए आयात का बाजार हिस्सा काफी कम है । क्षमता उपयोग, बिक्री, उत्पादन तथा बिक्री प्राप्ति से इस उपाय के समय विस्तार को समर्थन नहीं मिलता है ।

37. कम निर्यात, निवल बिक्री प्राप्ति से कम लाभ प्राप्त हो सकता है । जिन अन्य कारकों से क्षति हो सकती है, उन पर विचार करना चाहिए ।

<u>आयातकों/प्रयोक्ता उद्योगों के विचार</u>

38. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिटरजेंट मैन्युफैक्चरर्स (एआईएफडीएम), ऑल इंडिया ग्लॉस मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन्स (एआईजीएमएफ), I-ग्लास, सेंटगोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड, आशी, इंडिया ग्लास लि., गुजरात गार्जियन लि., हिंदुस्तान लीवर लि. रोहित सर्फेक्टेंस प्रा. लि. तथा अन्य ने अपने काउंसिल के जरिए निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

39. उन्होंने डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय : अमरीका-कोरिया से सर्कुलर वेल्डेड कार्बन क्वालिटी लाइन पाइप के आयातों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय को उद्धृत किया "यह स्मरण करना उपयोगी है कि रक्षोपाय आपात स्थितियों में किए जाने वाले असाधारण उपचार हैं । इसके अलावा, ये ऐसे उपचार हैं, जिन्हें किसी अनुचित व्यापार व्यवहार के किसी आरोप के अभाव में आयात प्रतिबंधों के रूप में लागू किया जाता है । उदाहरणार्थ इसमें रक्षोपाय पाटनोधी शुल्क तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से लेकर प्रति सब्सिडी तक अलग-अलग होते हैं जो अनुचित व्यापार व्यवहारों की प्रतिक्रिया में लागू किए जाते हैं ... " और यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय केवल आपवादित स्थितियों में ही लागू किए जाने चाहिए ।

40. घरेलू उत्पादकों में से दो उत्पादकों की विदेशों में विनिर्माण सुविधाएं हैं । टाटा कैमिकल ने दिसंबर, 2005 में केन्या में मगादी सोडा तथा जीएचसीएल ने वर्ष 2005 में रोमानिया में एससी बेगा उप सम एसए को अपने कब्जे में लिया था । हाल की अवधि में चीन से आयातों में गिरावट आई है और अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है । चीन पर सतत रक्षोपायों से केवल केन्या/रोमानिया से उनके आयातों में मदद मिलेगी । उन्होंने इसी कारण से चीन से हुए आयातों को ही लक्ष्य बनाते हुए टीपीएसएसएम उपाय का चयन किया है । इस प्रकार वे टीपीएसएसएम का उपयोग अपने भारतीय प्रचालनों की रक्षा करने के उपाय के रूप में नहीं क रहे हैं, अपितु केन्या या रोमानिया से निर्यात हेतु मुक्त बाजारर सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं । टीपीएसएसएम का उद्देश्य ऐसे प्रयोजनों को सिद्ध करना नहीं है ।

41. घरेलू उद्योग ने अत्यंत संरक्षणवादी नीति बनाई है और एक कार्टेल का गठन किया है । उन्होंने प्रति मी.ट. अधिक मार्जिन रखते हुए कम बिक्री करने और अधिक मुनाफ कमाने की नीति अपनाई है । उनका प्रयोक्ताओं से कोई सरोकार नहीं है और इस प्रकार शुल्क लागू करना जनहित के खिलाफ है ।

42. आयात अनिवार्य हैं क्योंकि वे काफी अधिक मुनाफे पर उत्पाद बेच रहे हैं ।

43. वस्तुत: घरेलू उद्योग मुनाफे में चल रहा है और इसमें वृद्धि हो रही है इसलिए चीन से हुए आयातों के कारण अत्यधिक वास्तविक क्षति का कोई मामला नहीं बनता है ।

44. भारतीय कास्टिक सोडा अत्यंत कारगर है जैसा कि अन्य की तुलना में भारतीय उत्पादन लागत से देखा जा सकता है ।

उत्पादन की नकद लागत (अम.डॉ.में)

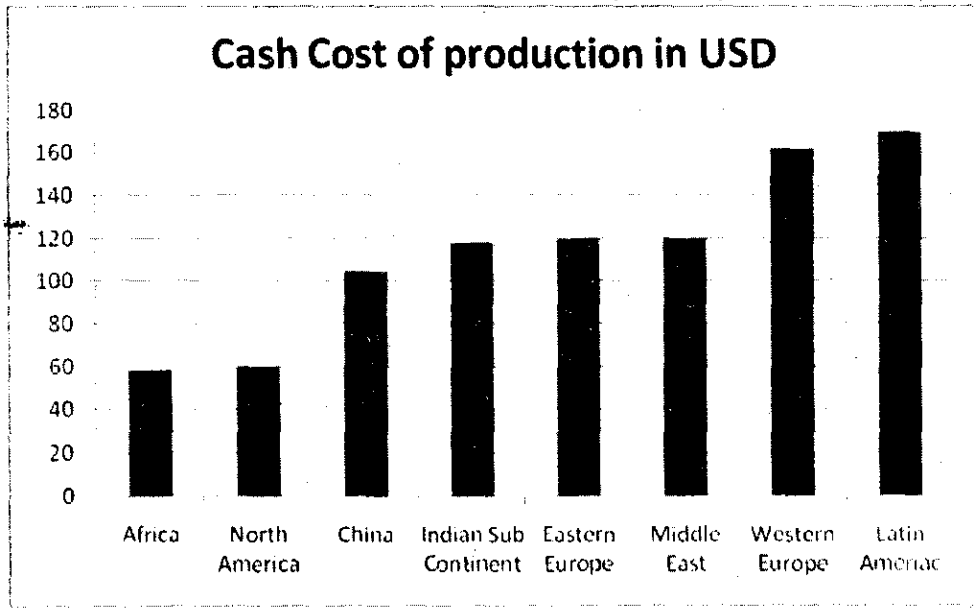

45. समीक्षा की कार्रवाई क्षेत्राधिकार रहित है । समूची कार्यवाही आदित: शून्य है क्योंकि क्षेत्राधिकार ही नहीं है । मामले के गुण-दोष की परख करने से पूर्व रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा क्षेत्राधिकार के मुद्दे को सर्वप्रथम तय करना चाहिए । महानिदेशक की शक्तियां सतत शुल्क अधिरोपण अथवा शुल्क समाप्ति की संस्तुति करने तक सीमित हैं । दोनों स्थितियों में पहले से लागू शुल्क की अवधि को बढ़ाने की जांच करने की कोई गुजाईश नहीं होती है । पहले से लागू शुल्क की शेष अवधि के लिए शुल्क में अंतर करना तभी संभव है जब ऐसे शुल्क की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो गई हो । रक्षोपाय महानिदेशक को तीन वर्ष से कम अवधि के लिए शुरू की गई जांच की स्थिति में उसकी अवधि किसी भी हालत में बढ़ाते हुए शुल्क में अंतर करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है । मौजूदा रूप में अथवा परवर्तित रूप में शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि शुल्क आरंभिक अधिरोपण अवधि से आगे लागू होगा ।

46. नियम 17 के अंतर्गत शुल्क में कोई समय विस्तार अनुमत्य नहीं है । शुल्क में किसी समय विस्ता का तात्पर्य शुल्क को इस ढंग से नए सिरे से लागू करना है जो नियम 5 के अंतर्गत शुरूआत के आधार पर ही किया जा सकता है ।

47. अधिनियम में कहीं भी समीक्षा की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है तथा प्राधिकारी और शक्ति की विधिमान्यता को केवल धारा 8ग के अधीन प्रदत्त शक्ति के तहत पढ़ा जाना चाहिए ।

48. एक वर्ष से अधिक समय के लिए शुल्क लगाए जाने के विशिष्ट अनुरोध पर तत्कालीन महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और एक वर्ष से अधिक समय के लिए शुल्क न लगाए जाने का निर्णय अंतिम बन चुका है । निर्णय अंतिम बन जाने के बाद महानिदेशक (रक्षोपाय) के निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती है ।

49. रक्षोपाय शुल्क का समय विस्तार रक्षोपाय करार के अनुरूप नहीं है । अनुच्छेद 7 (5) में यह उपबंध है कि "डब्ल्यूटीओ करार के लागू होने की तारीख के बाद किसी उत्पाद के आयात पर, जिस पर ऐसा कोई उपाय लागू किया गया है, पूर्व में लागू किए गए उपाय के बराबर की अवधि

तक कोई रक्षोपाय पुनः लागू नहीं किया जाएगा बशर्ते रक्षोपाय लागू न होने की अवधि कम से कम दो वर्ष की हो ।"

50. उन्हें उत्तर दाय करने के लिए 30 दिन का अनिवार्य समय नहीं दिया गया है और इस प्रकार जांच की शुरूआत कानूनन दोषपूर्ण है । जांच शुरूआत की सूचना पर विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया था । जांच शुरूआत की सूचना तथा परवर्ती सार्वजनिक सुनवाई कानूनन दोषपूर्ण है क्योंकि इससे कारगर ढंग से बचाव करने के अधिकार में कमी आई है । लिखित अनुरोध तथा उत्तर दायर करने के लिए प्रदत्त समय अपर्याप्त है ।

51. विधिक दायित्व और स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई है । दूसरी सार्वजनिक सुनवाई निरर्थक हो गई है क्योंकि पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया है ।

52. डेन्श सोडा तथा लाइट सोडा विशिष्ट उपयोगों वाले दो अलग-अलग उत्पाद हैं । कांच उद्योग केवल डेन्श सोडा का उपयोग करता है । कांच उद्योग में लाइट सोडा के उपयोग की प्रतिबंधित लागत के कारण कोई वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता नहीं है । कांच उद्योग में यदि लाइट सोडा का उपयोग किया जाता है तो कांच के प्रति मी.ट. सोडा ऐश की लागत में लाइट सोडा के कम उत्पादन के कारण अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी । लाइट सोडा से संयंत्रों और उपकरणों को क्षति पहुंचेगी जिससे बार-बार रख-रखाव की जरूरत होगी औ संयंत्र बंद करने पड़ेंगे । चीन से सोडा ऐश के 80% से अधिक आयात लाइट सोडा के होते हैं अतः दोनों अलग-अलग उत्पाद हैं । यदि डेन्श सोडा को रक्षोपाय जांच के दायरे में लाया जाता है तो डेंश सोडा ऐश के लिए पृथक विश्लेषण करना होगा । चीन के लिए विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि अन्य देशों से हुए आयातों में वृद्धि हुई है ।

53. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आयातों में गिरावट आ रही है और कोई संवर्धित आयात नहीं हुआ है । इसके अलावा यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि आयात "इतनी अधिक बढ़ी हुई मात्रा" में जारी हैं । यह जरूरी है कि समीक्षा के मामले में भी आयातों की संवर्धित मात्रा की पुष्टि की जाए । दिसंबर, 2009 के बाद आयातों में भारी गिरावट आई है । जनवरी और फरवरी, 2010 के दौरान निर्यात मूल्य काफी अधिक रहा है ।

54. रक्षोपाय "दोष रहित सिद्धांत" पर आधारित है और इसे उन आयातों पर लागू किया जाता है जिन्हें निष्पक्ष रूप से किया जाता है न कि घेलू उद्योग को चोट पहुंचाने की मंशा से । इस प्रकार बाजार विकृति को सिद्ध करने पर निषेध तथवा रक्षोपाय के आवेदन पर विचार करना भी अन्य व्यापार उपचारों से अधिक महत्वपूर्ण है । इसके अलावा, मुक्त व्यापार के प्रभाव को कम करने के लिए अर्थ निरूपण को भी संभव सीमा तक विशिष्ट रूप प्रदान करने की जरूरत है ।

55. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । सोडा ऐश का विनिर्माण करने वाली कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया है । घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव प्रदर्शित करने वाला कोई मात्रात्मक, कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके अलावा, आवेदन में किसी कीमत प्रभाव की पुष्टि नहीं की गई है । चीन के पास बेशी क्षमता होने के दावे की पुष्टि नहीं की गई है ।

56. बाजार विकृति का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सभी मापदंडों से ति1, ति2 और ति3 के दौरान सुधार प्रदर्शित होता है । याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी याचिका दायर की है और इसलिए रक्षोपाय जांच समाप्त की जानी चाहिए ।

57. घरेलू उद्योग बाजार को नियंत्रित कर रहा है और वह अपनी खुद की उत्पादन लागत की अनदेखी करते हुए कीमतों में एकपक्षीय रूप से घालमेल कर रहा है जो कम बिक्री मात्रा पर अधिक

लाभ कमाने से स्पष्ट हो जाता है । घरेलू उद्योग को न तो कोई क्षति हुई है और न ही कोई बाजार विकृति उत्पन्न हुई है और इस प्रकार संवर्धित आयातों तथा आरोपित बाजार विकृति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं बन सकता । जो भी आयात हुए हैं वे लागत में कमी के बावजूद उच्च कीमत पर बिक्री करने के घरेलू उद्योग के दंभपूर्ण रवैये के कारण हुए हैं । ऐसा नहीं है कि आयातों से क्षति हो रही है । बल्कि आयात क्रेताओं को बढ़ावा देने की घरेलू उद्योग की नीति के कारण हुए हैं।

58. घरेलू उद्योग के लिए "बाजार विकृति" या "बाजार विकृति के खतरे" की कोई घटना नहीं है क्योंकि बाजार हिस्से, उत्पादन, बिक्री में सुधार प्रदर्शित हुआ है । क्षमता उपयोग के आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में स्थायी प्रवृत्ति बनी हुई है ।

59. सोडा ऐश का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया है जैसा कि उनके तुलन पत्रों से पता चलता है ।

60. रक्षोपाय शुल्क के सतत अधिरोपण हेतु भी बाजार विकृति एक पूर्व शर्त है ।

61. पूर्ववर्ती निर्धारित अवधि से आगे रक्षोपाया शुल्क की अवधि को बढ़ाने के औचित्य का कोई साक्ष्य नहीं है ।

62. घरेलू उद्योग द्वारा मांगे गए पाटनरोधी उपचार की स्थिति में महानिदेशक को वर्तमान जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी ।

63. कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा जोर दिए जाने से यह सिद्ध होता है कि यह मामला रक्षोपाय के दायरे में नहीं आता है । पाटनरोधी महानिदेशक द्वारा इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए ।

64. चीन से हुए आयातों की मात्रा तथा घरेलू उद्योग को हुए मुनाफे के बीच कोई सह-संबंध नहीं है ।

65. बाजार विकृति के आरोपित खतरे तथा चीन से हुए आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ का चीन से हुए आयातों से कोई सह-संबंध नहीं है ।

66. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता इस देश की मांग से काफी अधिक है । यह अपनी क्षमता को निष्क्रिय रखने के लिए बाध्य है और इससे उत्पादन की लागत में वृद्धि हो सकती है ।

67. मालसूची से संबंधित अनुरोध भ्रामक हैं क्योंकि पिछली मालसूची को अलग नहीं किया गया है ।

68. उच्च कीमत पर संबंधित कंपनी से हुए आयात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं है ।

69. कीमत में कमी रक्षोपाय शुल्क का आधार नहीं हो सकती । कोई बाजार विकृति नहीं हुई है। स्थानीय कारक की वजह से अंतर्निहित अलाभ रक्षोपाय शुल्क लागू करने का आधार नहीं बन सकता।

70. ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिससे रक्षोपाय शुल्क लागू किए जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके । कम क्षमता उपयोग उत्पाद के अन्यत्र प्रयोग की वजह से हो सकता है ।

71. सार्वजनिक हित के लिए यह अपेक्षित है कि महानिदेशक वर्तमान समीक्षा जांच को समाप्त कर दें । एक सोडा ऐश का हिस्सा डिटर्जेंट विनिर्माण व्यापार में प्रयुक्त कच्ची सामग्री का लगभग 40% बनता है । 20% के सतत शुल्क से उत्पादन लागत में कम से कम 7-10% की वृद्धि होगी जिससे किफायती डिटर्जेंटों में उतनी ही मात्रा में कीमत वृद्धि होगी ।

72. रक्षोपाय शुल्क के लाभ एकल हैं इससे भारी मुनाफा कमा रही पांचों घरेलू कंपनियों को 20% का शुद्ध लाभ होगा ।

73. तस्मानिया और रोमानियां से भारत में भारी आयात हुए हैं । जहां घरेलू उद्योग के प्रमुख घटक अर्थात टीसीएल तथा जीएचसीएल ने विनिर्माण सुविधाएं हासिल की हैं ।

74. पाटनरोधी करार के अंतर्गत वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे की अवधारणा से संबंधित रक्षोपाय तथा पाटनरोधी कानूनों में ऐसा कोई अंतर नहीं है जो चीन जन.गण. के शामिल होने से संबंधित प्रोटोकॉल में चीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क के अंतर्गत मौजूदा अवधारणा से विशिष्ट एवं अलग हो ।

75. चीन से सोडा ऐश की पहुंच कीमत अन्य देशों से सोडा ऐश की पहुंच कीमत से अधिक है ।

76. घरेलू उद्योग को लागत का लाभ प्राप्त है क्योंकि उनके पास अनुषंगी उत्पादन सुविधाएं हैं ।

77. घरेलू उद्योग ने बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, निर्यात और लाभ के संबंध में उत्कृष्ट प्रचालनात्मक परिपूर्णता प्रदर्शित की है । मालसूची में वृद्धि का आयात में वृद्धि के साथ कोई करणात्मक संबंध नहीं है ।

78. अवरोधों को दूर कर घरेलू उद्योग की योजना क्षमता विस्तार की है जिससे व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है ।

79. यदि कोई बाजार विकृति हुई है तो वह कृत्रिम है और वह घरेलू उद्योग के सुविचारित निर्णय के कारण आई है ।

80. उपभोक्ता और उत्पादक उद्योग के बीच भौगोलिक अंतर के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ नहीं है ।

81. घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क के मामले में अन्य जांचों के कुछ निर्णयों का हवाला दिया है । यह संगत हैं क्योंकि ये जांचों तुलनीय नहीं हैं ।

82. संवर्धित आयात और गंभीर क्षति के खते के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं । चीन में सब्सिडी अथवा कम कीमत के आरोप संगत नहीं हैं क्योंकि इन्हें पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के समक्ष बेहतर ढंग से उठाया जाना चाहिए ।

83. वर्तमान स्थिति में रक्षोपाय शुल्क को 19.4.2010 से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है और इस प्रकार जांच समाप्त की जानी चाहिए । आयात के आंकड़े वास्तविकता से परे हैं ।

84. "व्हील" डिटर्जेंट सर्वाधिक प्रयुक्त एक ब्रांड है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं सहित लगभग 70% उपभोक्ताओं की जरूरत की पूर्ति करता है । यह भारत की जनता का प्रतिनिधि है और उसकी कीमत घट-बढ़ सोडा ऐश की कीमत घट-बढ़ से तुलनीय है क्योंकि स्थिति को विकृत करने वाली ऐसी कोई अन्य खास लागत नहीं है ।

85. सोडा ऐश डिटर्जेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है । भारत में 50% सोडा ऐश की खपत सोपा डिटर्जेंट उद्योग द्वारा की जाती है । कम कीमत के डिटर्जेंट में भार के अनुसार 20-25% सोडा ऐश का उपयोग किया जाता है जबकि प्रमुख डिटर्जेंटों में भार के अनुसार 30-35% की खपत की जाती है । वर्तमान रक्षोपाय शुल्क का अंतिम उपभोक्ताओं पर 7-10% का प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार इसका सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

86. व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों का लाभ प्राप्त करना एएमएआई की पुरानी आदत है । यह लाभ कमाने के साथ कई रक्षोपायों को लागू कराने का एक प्रयास है ।

87. घरेलू और निर्यात बजारों में चीन में प्रचलित कीमत की वर्तमान स्थिति पर उस स्थिति में विचार करने की जरूरत है यदि खतरे का मूल्यांकन करना अपेक्षित हो न कि आवेदकों द्वारा दर्शायी गई पिछली रिर्पोटों के अनुसार ।

88. सोडा प्याज के समान है जिसका उपयोग व्यापक उद्योगों में किया जाता है । वस्तुत: अगस्त, 2008 में कीमत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार सोडा ऐश के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही थी (ईटी दिनांक 2.8.2008 में सूचित) ।

89. घरेलू उद्योग के पास कोई भी समायोजन योजना नहीं है । चीन डब्ल्यू टी ओ में शामिल हो गया है । रक्षोपाय करार इस मामले में लागू है जिसमें समायोजन योजनाओं का उल्लेख है । अत: समायोजन योजना के अभाव में आवेदन को रद्द करने की जरूरत है ।

90. बाजार विकृति का अनुमान लगाते हुए यह बाजार विकृति आयातों के कारण नहीं आई है ।

91. सार्वजनिक हित : सोडा ऐश का उपयोग विभिन्न तैयार उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनेक उद्योगों द्वारा किया जाता है । इनकी व्यापक सूची नीचे दी गई है ।

i. घरेलू डिटर्जेंट
ii. साबुन
iii. सफाई यौगिक
iv. फ्लोट ग्लास
v. कंटनेर तथा विशिष्टता काँच
vi. अनेक प्रकार के भारी एवं औद्योगिक रसायन
vii. निम्नलिखित में व्यापक उपयोग
viii. वस्त्र उद्योग
ix. कागज उद्योग
x. धात्विक उद्योग
xi. डिसैलिनेशन संयंत्र
xii. जलशोधन
xiii. रबड़ उद्योग
xiv. चर्म उद्योग
xv. अल्यूमीनियम उद्योग
xvi. सोडा ऐश निम्नलिखित के विनिर्माण में भी एक प्रमुख संघटक है
xvii. बल्क ड्रग

xviii. सैक्रीन

xix. सफोलिन

92. सोडा ऐश के विभिन्न उपयोग होने के कारण यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से अंतिम प्रयोक्ताओं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसकी आगे परिणति निरमा जैसे समेकित उत्पादकों के लिए अनुचित लाभ के रूप में होगी । चीन से हुए आयातों पर एक बार रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग केन्या और रोमानिया स्थित अपनी संबद्ध कंपनियों से आसानी से आयात करेगा और अंतिम प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हित की लागत पर कीमतों में वृद्धि करेगा ।

93. संक्षेप में समीक्षा की कार्रवाई समाप्त की जाए ।

जाँच एवं जाँच परिणाम

94. मामले के रिकॉर्ड के अनुसार घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं, आयातकों, निर्यातकों तथा निर्यातक देश द्वारा दायर उत्तरों का विश्लेषण किया गया है । विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनसे उत्पन्न मुद्दों पर इस जांच परिणाम में नीचे उचित स्थानों पर कार्रवाई की गई है ।

क्षेत्राधिकार

95. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ग चीन जन.गण. से आयातों पर परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बारे में है । धारा 8ग (1) में किसी वस्तु पर उस स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लगाने का प्रावधान है कि यदि चीन चन.गण. से भारत में उक्त वस्तु का आयात इतनी अधिक बढ़ी हुई मात्रा और ऐसी स्थिति में किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग के लिए बाजार विकृति उत्पन्न हुई है या उसका खतरा पैदा हो गया है । धारा 8 ग में रक्षोपाय में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की अवधियों की संख्या पर अथवा उस अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिस अवधि के लिए धारा 8 ग (5) के अंतर्गत अवधि को छोड़कर शुल्क लगाया जा सकता है । इस धारा में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 4 वर्ष के बाद तुरंत समाप्त हो जाएगा परंतु रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की अवधि को सर्वप्रथम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है । अतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ग में रक्षोपाय शुल्क की अवधि को बढाए जाने अथवा नया रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने सहित रक्षोपाय शुल्क को निरंतर लगाए जाने का प्रावधान है ।

96. सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 में जांच को शासित करने वाले तरीके और सिद्धांतों का प्रावधान है ।

97. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इस नियम में रक्षोपाय शुल्क की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है । उनका तर्क इस बिना पर आधारित है कि रक्षोपाय शुल्क को निरंतर रूप से लगाए जाने के अर्थ में रक्षोपाय शुल्क की अवधि को बढ़ाना शामिल नहीं है । अतः "जारी रखने" के अर्थ का अध्ययन किया गया है ।

98. कैम्ब्रिज शब्दकोश में "जारी रखने" शब्द को "बने रहने, विद्यमान रहने अथवा कुछ करने अथवा कुछ कराने या ऐसा कुछ करने"; "विराम के बाद किसी चीज को पुनः शुरू करने"[1] के रूप में परिभाषित किया गया है ।

---

[1] • बने रहना, विद्यमान रहना अथवा कुछ करना अथवा कुछ कराना या ऐसा कुछ करना"; "विराम के बाद किसी चीज को पुनः शुरू करना

• विराम के बाद किसी चीज को पुनः शुरू करना
स्रोत: कैम्ब्रिज शब्दकोश

99. मरीयम बैवस्टर शब्दकोश में "जारी रखने" शब्द को "किसी स्थिति, कारण अथवा कार्यवाई में व्यवधान डाले बिना उसे बनाए रखने; "मौजूद रखने" ; किसी स्थान अथवा स्थिति में बने रहने ; "व्यवधान के बाद कोई कार्यकलाप पुन: शुरू करने"; "बनाए रखने, अनुरक्षित रखने"; "जारी रखने, अथवा उसे आगे बढ़ाने"; अंतराल के बाद पुन: शुरू होने"[2] के रूप में परिभाषित किया गया है ।

100. "समय विस्तार" का तात्पर्य दूरी, स्थान या समय को बढ़ाने [3] से है ।

101. अत: " जारी रखने " अथवा " समय विस्तार " के अर्थ में पारस्परिक अनन्य व्याख्या निहित नहीं है । यदि किसी का समय विस्तार किया जाता है तो नैसर्गिक शब्दार्थ यह बनता है कि वह जारी है, यदि किसी चीज को बढ़ाई जाने वाली अवधि से आगे जारी रखा जाना है ।

102. इसके अलावा, सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 में उक्त शुल्क को सतत लागू रखने की सिफारिश करने का प्रावधान है । यदि ऐसा रक्षोपाय शुल्क "बाजार विकृति" को रोकने या उसका समाधान निकालने के लिए आवश्यक हो । इसका तात्पर्य यह है कि बाजार विकृति की स्थिति में भी समीक्षा की जा सकती है ।

103. सीमाशुल्क टैरिफ (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 के नियम 4 में महानिदेशक को यह दायित्व सौपा गया है कि वह रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करे । यह समीक्षा जांच के जरिए ही संभव है जिसके लिए जांच की शुरूआत एक पूर्वापेक्षित शर्त है । अत: "समय विस्तार" अथवा "जारी रखने" के अर्थ के साथ पठित धारा 8 ग, नियम 4, नियम 16 और नियम 17 के सुमेलीकृत पाठन से मौजूदा शुल्क के समय विस्तार की जरूरत सहित रक्षोपाय शुल्क को सतत रूप से लगाने की जरूरत हेतु जांच अपेक्षित है ।

104. अत: विराम के साथ या उसके बिना 19.4.2010 के आगे रक्षोपाय शुल्क को सतत रूप से लागू रखने हेतु जांच कानूनन सही है ।

105. तद्नुसार, यह जांच उक्त नियमों के अनुसार की गई है और अपनी अधिसूचना के जरिए अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं ।

जांचाधीन उत्पाद

106. **जाँचाधीन उत्पाद :** जांचाधीन उत्पाद डाई सोडियम कार्बोनेट जिसका लोकप्रिय नाम सोडा ऐश है और जिसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है । सोडा ऐश एक सफेद, दानेदार और जल में घुलनशील पदार्थ है । इस आदेश में इसका उल्लेख " सोडा ऐश " के रूप में किया गया है । सोडा ऐश सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की उपशीर्ष 283620 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है । सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों- लाइट सोडा ऐश तथा डेन्स सोडा ऐश में किया जाता है । घरेलू उद्योग द्वारा दोनों प्रकार के सोडा ऐश का उत्पादन किया जाता है और आयात भी दोनों प्रकारों के होते हैं । दोनों प्रकारों में अंतर बल्क घनत्व का है । रासायनिक रूप से सोडा ऐश के दोनों प्रकार समान हैं । चीन से आयातित डेन्स सोडा ऐश तथा घरेलू रूप से उत्पादित सोडा ऐश के बीच भौतिक या रासायनिक विशेषताओं के संबंध में कोई खास अंतर नहीं है । इसके अलावा,

---

[2] **क** : पूरी लंबाई तक बढ़ाना **ख:** पूरी ताकत से दौड़ाना (घोड़े के समान) **ग:** पूर्ण क्षमता तक मेहनत करना **घ:** (कसी सस्ते पदार्थ या परिवर्तक को मिलाकर) बल्क को बढ़ाना (2) अपमिश्रण करना

[3] (मध्यकालीन अंग्रेजी, मध्यकालिन लैटिन संग्रह अथवा एंग्लोफ्रेंच संग्रह से) विस्तार की रिट द्वारा कब्जा (यथाभूमि) कब्जा लेना **ख** : अप्रचलित : बल पूर्वक हथियाना

4.**क:** प्रस्ताव करना **ख:** उपलब्ध कराना **5क:** पहुंचाना **ख:** बड़ा करना **ग:** आगे विस्तार करना **6क:** या मात्रा को बढ़ाना **ख:** दायरे, अर्थ या प्रयोग को

बढ़ाना **ग:** बढ़ाना चढ़ाना

2. क्षेत्र या अनुप्रयोग में पहुंचना

आयातित लाइट सोडा ऐश तथा घरेलू रूप से उत्पादित लाइट सोडा ऐश के बीच भौतिक या रासायनिक विशेषताओं के संबंध में कोई खास अंतर नहीं है । आयातित सोडा ऐश तथा घरेलू सोडा ऐश के समान या समनुरूप बिक्री माध्यम हैं । दोनों की बिक्री अंतिम प्रयोक्ताओं, वितरकों या खुदरा व्यापारियों को सीधी बिक्री के जरिए की जाती है । इन उत्पादों के समान उपयोगों और ये वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । कीमत संबंधी सूचना तत्काल उपलब्ध है तथा संबंधित उत्पाद एवं घरेलू उत्पादकों के उत्पाद मुख्यतः कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा करते हैं । अतः आयातित सोडा ऐश घरेलू रूप से उत्पादित के " समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी " है ।

घरेलू उद्योग

107. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ग(7)(क) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

(ख) " घरेलू उद्योग " से ऐसे उत्पादक अभिप्रेत हैं-

i. जो समग्र समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के उत्पादक हैं;

ii. जिनका समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है ।

108. भारत में जो प्रमुख उत्पादक सोडा ऐश का विनिर्माण करते हैं वे निम्नानुसार हैं :

i. टाटा कैमिकल्स लि.
ii. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि.
iii. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.
iv. डीसीडब्ल्यू लि.
v. निरमा लि. और
vi. तूतिकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.

109. इन उत्पादकों के हिस्से का उल्लेख नीचे तालिका 1 में किया गया है । निम्नलिखित उत्पादकों ने " घरेलू उद्योग " के रूप में विचार करने का अनुरोध किया है :

i. मै. टाटा कैमिकल्स लि., अँधेरी (पू.), मुंबई;
ii. मै. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि., नोएडा;
iii. मै. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि., बिरला सागर, पोरबन्दर, गुजरात
iv. मै. डीसीडब्ल्यू लि., मुम्बई और
v. मै. निरमा लि., भावनगर, गुजरात

तालिका-1

भारत के कुल उत्पादन में अलग-अलग उत्पादकों का हिस्सा

	इकाई का नाम	2005-06	2006 07	2007-08	2008 09
1	डीसीडब्ल्यू लि.	3.81%	3.80%	3.90%	3.91%
2	जीएचसीएल लि.	23.35%	24.70%	28.37%	29.49%
3	निरमा लि.	22.95%	21.66%	17.21%	18.31%
4	सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.	10.64%	6.57%	13.26%	11.51%
5	टाटा कैमिकल्स लि.	35.37%	39.17%	37.27%	36.78%
6	तूतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%
	महायोग	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	भारतीय उत्पादकों, जिन्होंने याचिका का समर्थन किया, का हिस्सा	96.11%	95.91%	100.00%	100.00%
*	अन्य भारतीय उत्पादकों के हिस्से	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%

110. यह पाया गया है कि वर्ष 2008-09 में सोडा ऐश का उनका उत्पादन कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 100% बनता है । चूँकि उपर्युक्त उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन भारत में सोडा ऐश के कुल उत्पादन का 100% बनता है और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस आशय का कोई तर्क नहीं दिया है कि ये उत्पादक घरेलू उद्योग नहीं हैं इसलिए उपर्युक्त घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8ग(7) के अंतर्गत परिभाषित " घरेलू उद्योग " के अर्थ के भीतर " घरेलू उद्योग " हैं ।

सूचना की पद्धति एवं स्रोत

111. आयात के उद्देश्य से आंकड़ों की विश्वसनीयता डीजीसीआईएस आंकड़ों पर वित्तीय वर्ष 2007-08 तक और बाद की अवधि के लिए आईबीआईएस पर रखी गई है । सूचना के लेन-देन वार ब्यौरे सार्वजनिक फाइल में रखे गए हैं । भारत के सभी विनिर्माताओं से संबंधित अन्य आर्थिक मानदंड अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) और अलग-अलग एककों से लिए गए हैं । यदि अन्य किसी सूचना का इस्तेमाल किया गया है, तो स्रोत का उल्लेख सूचना के साथ किया गया है ।

112. विश्लेषण के प्रयोजनार्थ तिमाही के आंकड़ों का विश्लेषण हेतु प्रयोग किया गया है । मौसमी अंतर के प्रभावों से बचने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के साथ तुलना की गई है । इसके अलावा बाजार विकृति अथवा बाजार विकृति के खतरे के निर्धारण हेतु आर्थिक कारकों का विश्लेषण करते समय क्रम 2 तथा क्रम 3 की संख्या का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया गया है ।

113. **आयात :** निम्नलिखित तालिका में सोडा ऐश से संबंधित तिमाही आयात आंकड़े दिए गए हैं ।

तालिका 2

	चीन से सोडा ऐश के आयात मात्रा (मी.ट. में)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	17,836	2,256	10,046	1,10,329
ति2	19,112	6,362	10,716	53,686
ति3	7,929	21,268	20,261	48,560
ति4	16	7,804	67,624	-

तालिका 3

चीन से इतर देशों से सोडा ऐश के आयात मात्रा (मी.ट.)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	58,923	49,666	50,333	41,195
ति2	62,139	63,236	55,566	83,735
ति3	56,241	1,13,356	42,825	91,070
ति4	35,326	90,233	33,778	-

तालिका 4

भारत में सोडा ऐश के कुल आयात मात्रा (मी.ट. में)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	30,166	76,759	51,922	60,379	1,51,523
ति2	44,637	81,251	69,598	66,282	1,37,421
ति3	38,733	64,170	1,34,623	63,086	1,39,630
ति4	38,280	35,342	98,037	1,01,402	-

114. चीन से आयातों में वृद्धि दिसंबर, 2008 में शुरू हुई । रक्षोपाय शुल्क के कारण आयात में वृद्धि की गति कम रही । तथापि, तिमाही आयात रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी पूर्ववर्ती वर्षों में हुए तिमाही आयातों से अधिक रहे । चीन से आयात वर्ष 2008 में हुए 48, 827 मी.ट. की तुलना में 2009 में 2,80,199 मी.ट. के हुए ।

115. **आयात में तुलनात्मक वृद्धि:** भारत के कुल बाजार आकार में आयात का हिस्सा निम्नलिखितानुसार रहा है :-

तालिका 5

वर्ष		बाजार हिस्सा (%)		
		चीन	घरेलू उत्पादक	अन्य
2005-06	ति1	0.01	94.19	5.81
	ति2	0.91	91.91	7.18
	ति3	0	92.68	7.32
	ति4	0.72	93.11	6.17
2006-07	ति1	3.07	86.80	10.14
	ति2	3.63	84.58	11.79
	ति3	1.46	88.16	10.38
	ति4	0.00	93.76	6.24
2007-08	ति1	0.42	90.30	9.28
	ति2	1.34	85.35	13.31
	ति3	3.36	78.75	17.89
	ति4	1.27	84.01	14.72
2008-09	ति1	1.82	89.07	9.11
	ति2	2.00	87.61	10.39
	ति3	4.05	87.38	8.57
	ति4	11.62	82.57	5.80
2009-10	ति1	17.74	75.63	6.62
	ति2	9.68	75.23	15.09
	ति3	7.97	77.16	14.87

116. चीन से हुए आयातों के बाजार हिस्से में 2009-10 की ति.1 तक वृद्धि हुई परंतु रक्षोपाय शुल्क के कारण 2009-10 की ति.2 में गिरावट शुरू हो गई । तथापि, चीन के आयातों का हिस्सा पिछले तीन वर्षों के हिस्से से काफी अधिक रहा ।

वे स्थितियां जिनमें चीन से आयात हो रहे हैं

117. निम्नलिखित तालिका में चीन से आयात की कीमत निहित है और ग्राफ में चीन तथा अन्य देशों से आयातों का मूल्य/मी.ट. का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है । इसके अलावा, निम्नलिखित तालिका में आयातों का तिमाही औसत मूल्य निहित है ।

तालिका 6

आयात कीमत-चीन (रू./मी.टन)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	37,817	8,503	9,184	12,559	10,008
ति2	8,765	8,492	10,540	15,721	9,354
ति3	-	8,824	10,300	13,221	8,976
ति4	8,794	44,446	12,393	10,649	

सीआईएफ मूल्य/मी.ट. (चीन से) **आयातों का मूल्य/मी.ट.**

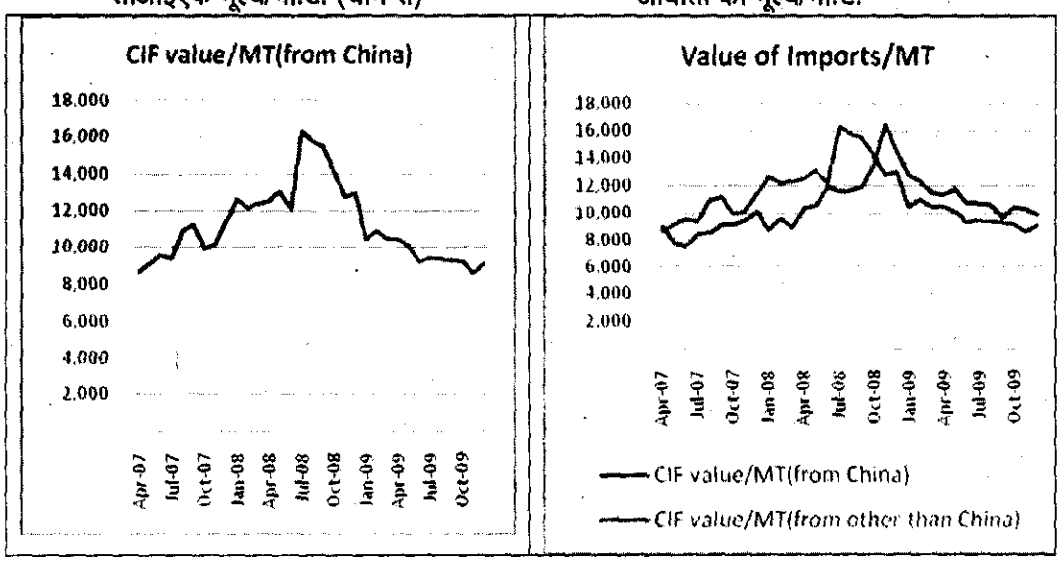

118. अक्टूबर, 2008 से पूर्व चीन से आयात अन्य देशों से हुए आयातों की कीमत से अधिक कीमत पर होते रहे । वित्तीय मंदी के बाद प्रवृत्ति बदली तथा चीन से आयात अन्य देशों से हुए आयात की कीमत से कम कीमत पर होने शुरू हो गए । यह प्रवृति वर्ष 2009 के दौरान जारी रही । यह भी देखा गया है कि वर्ष 2009 के दौरान चीन से आयात की कीमत में गिरावट जारी रही । पूर्ववर्ती वर्ष की संबंधित तिमाहियों की तुलना में 2009-10 की ति3 और ति2 में सीआईएफ मूल्य में गिरावट क्रमश: 32.1% तथा 29.25% रही ।

119. **चीन से सतत संवर्धित आयात के कारण :** दिनांक - के अंतिम जांच पणिम में यह स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2008 के मध्य में शुरू हुई अभूतपूर्व तथा असामान्य मंदी के कारण कई देशों में विकास की गति धीमी रही । मंदी का प्रभाव अलग-अलग देशों में अलग-अलग रहा है । मंदी के कारण आई सामान्य मंदी से चीन के घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों में मांग में कमी आई जिससे चीन में बंशी क्षमता उपलब्ध हो गई । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए चीन ने अपारंपरिक बाजार का पता लगाया । भारत चीन का पारंपरिक बाजार नहीं रहा है जैसा कि चीन से भारत में हुए आयातों की मात्रा से स्पष्ट हो जाता है जो सितंबर, 2008 तक काफी कम मात्रा में हुए थे । तथापि, विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली मंदी के

बाद चीन के लिए भारत महत्वपूर्ण बाजार बन गया जैसा कि चीन से कम मूल्य पर हुए संवर्धित हुए आयातों से स्पष्ट होता है । चीन द्वारा कीमत में अचानक कमी किए जाने के कारण चीन से हुए आयातों में तेजी से वृद्धि हुई और चीन भारत के लिए सोड़ा ऐश का प्रमुख निर्यातक बन गया ।

120. उस समय विद्यमान परिस्थियां जारी रही क्योंकि बेशी उत्पादन और क्षमता मौजूद रही । चीन के लिए भारत अत्यंत प्रमुख बाजार बन गया था और वह फोकस बाजार बना रहा । चीन ने वर्ष 2007 और 2008 में भारत को क्रमश: 36000 मी.ट. और 82000 मी.ट. का निर्यात किया परंतु वर्ष 2009 में भारत को हुए कुल निर्यात 305,000 मी.ट. के स्तर पर पहुंच गए । वर्ष 2008 में चीन द्वारा भारत को किए गए निर्यात 82,000 मी.ट. से 3.7 गुना बढ़कर चीन से भारत को हुए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी 2009 में 305 हजार मी.ट. के हो गए । भारत को हुए निर्यात में यह वृद्धि इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपीन्स जो चीन में सोड़ा ऐश के उत्पादकों के पारंपरिक बाजार रहे हैं, का र्यित में गिरावट के कारण हुई है । इस प्रकार चीन के लिए भारत फोकस बाजार बना हुआ है जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है । भारतीय बाजार हेतु चीन में सोडा ऐश के उतपादकों का सतत फोकस होने के कारण रक्षोपाय शुल्क के बाद भी चीन से भारत में अधिक आयात हुए हैं ।

ग्राफ 3
भारत तथा अन्य देशों को चीन द्वारा किए गए निर्यात

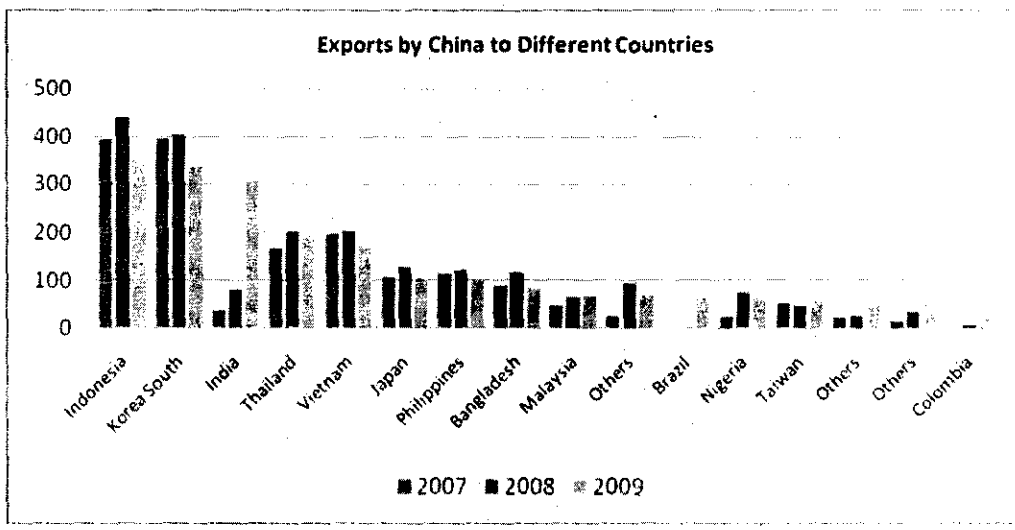

बाजार अवरोध के खतरे से संबंधित प्रमाणों का मूल्यांकन:

सांविधिक ढांचा:

121. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग (7) (ख) में स्पष्ट है कि जब कभी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु या उस जैसी वस्तु का आयात तेजी से बढ़ता है, चाहे पूर्ण रूप से बढ़े अथवा सापेक्ष रूप से बढ़े जो वास्तविक क्षति का महत्वपूर्ण कारण हो, अथवा जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा हो, "बाजार अवरोध" उत्पन्न होगा । इसमें यह भी परिभाषित है कि "बाजार अवरोध के खतरे" का अभिप्राय बाजार अवरोध के स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है ।

122. तथापि, "वास्तविक क्षति" की परिभाषा न तो अधिनियम में पाई जाती है और न ही सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 में पाया जाता है । अत: निदेशालय द्वारा पिछली जांचों में अपनाई गई परिपाटी तथा अन्य देशों के कानूनों और परिपाटियों का अध्ययन किया गया । यह पाया गया कि चीन के आयातों की तुलना में रक्षोपाय शुल्क से संबंधित यू एस ए के कानून में "वास्तविक क्षति" की परिभाषा दी गई है । "वास्तविक क्षति" शब्द यू एस ए के व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 406 में तथा यू एस ए के टैरिफ अधिनियम, 1930 के शीर्षक VII में दिखाई देती है । 1930 के टैरिफ अधिनियम के शीर्षक VII में "वास्तविक क्षति" को "वह क्षति जो अपरिणामी, अवास्तविक अथवा महत्वहीन न हो" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

123. यह भी नोट किया गया है कि बाजार अवरोध परीक्षण गंभीर क्षति परीक्षणों की अपेक्षा अधिक आसानी से पूरे किए जाने के इरादे से होते हैं । वास्तविक क्षति शब्द "गंभीर क्षति" शब्द की अपेक्षा कम मात्रा में क्षति दर्शाता है

124. तद्नुसार, बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे के लिए संगत नियमों में उल्लिखित सभी पहलुओं तथा अन्य कारकों, जैसा कि इसकी स्थिति है अथवा भविष्य का पूर्वानुमान लगाए जाने योग्य स्थिति में इसकी संभावना है, । एक भी कारक को निपटान योग्य नहीं माना गया है तथा संगत व्यापार चक्र के भीतर सभी संगत कारकों तथा प्रतिस्पर्धा की स्थितियों, जो प्रभावित उद्योग के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है । बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर बीच में आने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है ।

संगत कारकों की पहचान

125. बाजार अवरोध अथवा बाजार अवरोध के खतरे के अस्तित्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित संगत कारकों का उल्लेख किया गया है :-

i. आयात वृद्धि की दर

ii. वर्धित आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार का हिस्सा

iii. बिक्री स्तर में परिवर्तन

iv. उत्पादन

v. उत्पादकता

vi. क्षमता उपयोग

vii. लाभ एवं हानि

viii. रोजगार

ix. उद्गम या निर्यात के देश में निर्यात की क्षमता जो उस समय विद्यमान है अथवा निकट भविष्य में होने की संभावना है और इस बात की संभावना है कि इस क्षमता का उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए किया जाएगा;

x. चीन द्वारा निर्यात के लिए भारत को केन्द्र बनाना ।

xi. मालसूची

126. **आयात वृद्धि की दर :** आयात वृद्धि की दर का मूल्यांकन के उद्देश्य से अप्रैल, 2005 से आयात प्रवृत्ति का क्रम 2 के बहुपद प्रवृत्तियां लेकर अध्ययन किया गया है । यह प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दर्शायी गई है । इस प्रवृत्ति की स्थितियां दर्शाती हैं कि आयात में वृद्धि की दर काफी अधिक है । यह भी देखा गया है कि आयात में वृद्धि 2008-09 की ति2 से लेकर 2009-10 की ति1 तक लगातार हुई है । अप्रेल, 2009 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में गिरावट आई । तथापि, क्रम 2 के बहुपदीय सतत समय सीमा में प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि समग्र प्रवृत्ति में वृद्धि का पता चलता है । रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों के तिमाही विश्लेषण से यह पता चलता है कि आयात भारी मात्रा में जारी हैं । पिछले चार वर्षों की ति2 और ति3 में आयात की मात्रा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अलग-अलग तिमाहियों में भी आयातों में वृद्धि हुई है । दूसरे शब्दों में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी अलग-अलग तिमाहियों में हुए आयातों का स्वतंत्र विश्लेषण किए जाने पर आयात में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, सतत समय सीमा में समग्र प्रवृत्ति की भी आयात में सकारात्मक वृद्धि दर का पता चलता है । यद्यपि तत्काल पूर्ववर्ती तिमाहियों की तुलना में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद पिछली दो तिमाहियों में आयात में गिरावट प्रदर्शित होती है ।

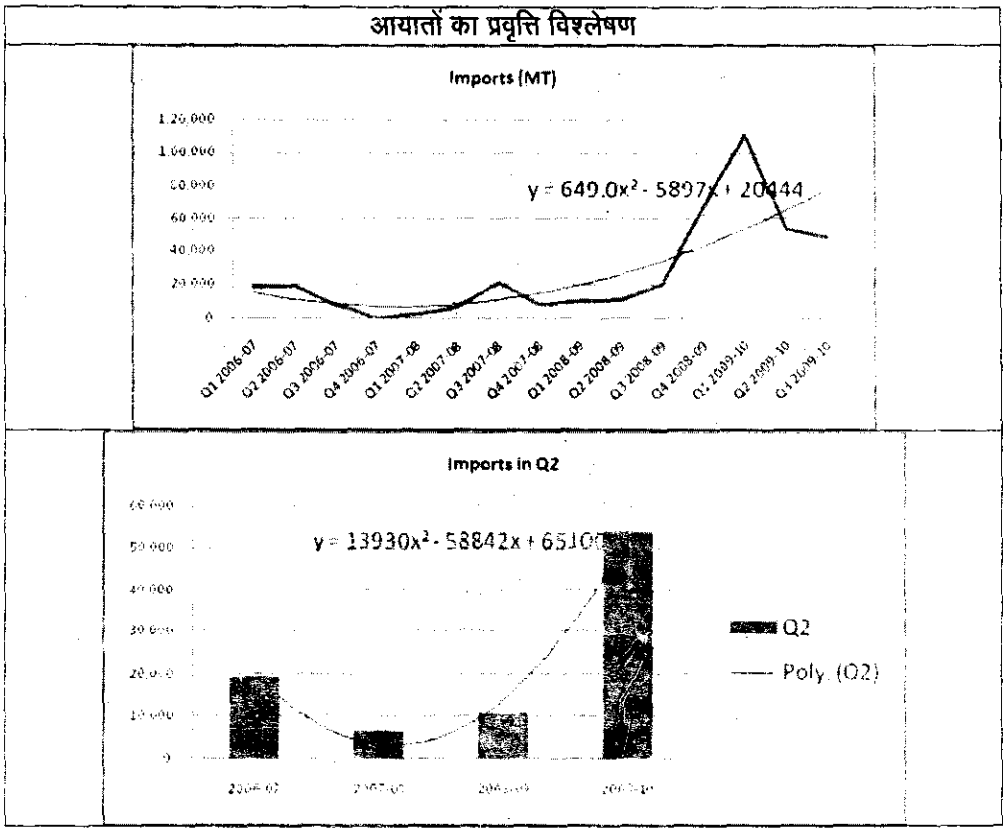

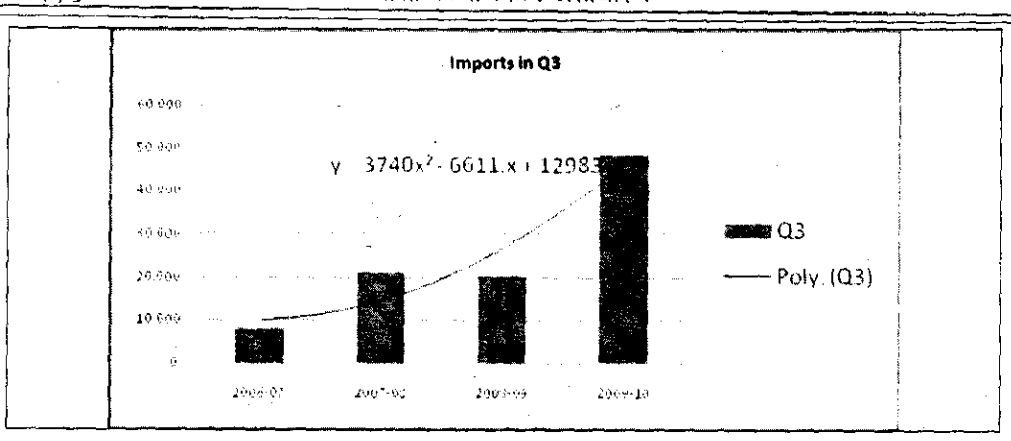

127. **चीन से वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार का हिस्सा:** निम्नलिखित तालिका एवं रेखा चित्र से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के बारे में सूचना मिलती है ।

तालिका 7

	घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (%)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	87	90	89	76
ति2	85	85	88	75
ति3	88	79	87	77
ति4	94	84	83	

वर्ष 2009 में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 80% से कम रहा है जो हमेशा 80% से अधिक रहा था (2008-09 की ति1 में 89.07% तक) । अप्रेल, 2009 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आने वाली गिरावट में रूकावट आई लेकिन यह 208 के स्तर पर पहुंच गई । रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद चीन से आयातों के बाजा हिस्से में गिरावट आई परंतु यह 2008 के स्तर से काफी अधिक बना रहा । यह भी देखा गया है कि घरेलू बाजारर में चीन का बाजार हिस्सा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद अन्य देशों को चला गया जो एक प्राकृतिक परिदृश्य है क्योंकि अन्य देशों से हुए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं होता है और चीन ने रक्षोपाय शुल्क लागू होने से पूर्व अन्य देशों का हिस्सा कब्जा लिया था ।

128. **बिक्री स्त में परिवर्तन :** निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा की गई तिमाहीवार बिक्री दर्शायी गई है :

तालिका 8

तिमाही	बिक्री (मी.ट.)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	4,88,794	5,04,532	4,83,558	4,92,142	4,70,319
ति2	5,07,359	4,45,663	4,05,514	4,68,751	3,95,986
ति3	4,90,616	4,77,618	4,98,893	4,36,845	4,59,593
ति4	5,17,577	5,31,127	5,14,964	4,80,476	

तालिका 8क

	वार्षिक बिक्री (मी.ट.) [जन.-दिस.]			
वर्ष	2006	2007	2008	2009
मात्रा (मी.ट)	1945390	1919092	1912702	1806374

129. वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में 2007-08 की चौथी तिमाही और 2008-09 की पहली तिमाही की तुलना में क्रमश: 6.7% तथा 4.43% की गिरावट आई । 2008-09 की चौथी तिमाही वह अवधि थी, जब अनंतिम शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी तथा 2008-09 की पहली तिमाही वह अवधि थी, जब अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाया गया था । 2009-10 की पहली तिमाही में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद बिक्री में पिछले वर्ष की उसी तिमाही की तुलना में गिरावट आई । तथापि, वर्ष 2009-10 की ति3 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में 5.2% का सुधार देखा गया जो मुख्यत: रक्षोपाय शुल्क के कारण हुआ था । यह भी देखा गया है कि वर्ष 2008 की तुलना में 2009 के दौरान कुल बिक्री में 1 लाख मी.ट. की गिरावट आई जिसमें 6% की गिरावट का पता चलता है ।

130. **उत्पादन** : निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन तथा निर्यातित उत्पादन द्वारा कम किए गए उत्पादन (निर्यात का शुद्ध उत्पादन) तिमाही वार दिया गया है । निर्यात के शुद्ध उत्पादन का विश्लेषण उत्पादन में निर्यात के प्रभाव तथा घरेलू खपत के लिए किए गए उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए किया गया है ।

तालिका: 9

	सकल उत्पादन (मी.ट.)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5,65,853	5,15,924	5,32,360	5,12,342	5,34,576
ति2	5,68,648	4,87,595	4,25,305	5,11,118	4,67,571
ति3	6,07,843	5,40,916	5,51,124	5,42,399	5,19,181
ति4	5,49,985	5,79,708	5,76,499	5,28,162	

तालिका 10

	निवल निर्यात का उत्पादन (मी.ट.)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5,08,720	4,88,405	4,94,992	4,83,482	4,79,999
ति2	5,19,054	4,57,960	4,08,555	4,78,414	4,23,847
ति3	5,37,702	4,83,958	5,20,302	5,04,626	4,67,318
ति4	4,80,705	5,24,963	5,23,591	4,68,523	

तालिका 9क

वार्षिक सकल उत्पादन (मी.ट.)				
वर्ष	2006	2007	2008	2009
मात्रा (मी.ट.)	20,94,420	20,88,497	21,42,358	20,49,490

तालिका 10क

निर्यातों को छोड़कर वार्षिक उत्पादन (मी.ट.)				
वर्ष	2006	2007	2008	2009
मात्रा (मी.ट.)	19,11,028	19,48,812	19,90,113	18,39,687

131. वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में उत्पादन का यदि पिछले वर्ष की उसी तिमाही से तुलना की जाए तो वह 8.38% कम है । 2008-09 की चौथी तिमाही में उत्पादन 2005-06 से शुरू करके किसी भी वर्ष की चौथी तिमाही में सबसे कम है । 2009-10 की पहली तिमाही में उत्पादन 2008-09 की पहली तिमाही की अपेक्षा अधिक है । चीन से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के बावजूद वर्ष 2009-10 की ति2 और ति3 में उत्पादन 2008-09 की समान तिमाही की तुलना में कम रहा । वर्ष 2009 में वार्षिक सकल उत्पादन में 92,868 मी.ट. की गिरावट आई जिससे 4.33% की गिरावट का पता चलता है । वस्तुत: वर्ष 2009 में हुआ वार्षिक उत्पादन पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रहा था ।

132. निवल निर्यात उत्पादन यह दर्शाता है कि 2008-09 की चौथी तिमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में घरेलू खपत के लिए बने उत्पादन में गिरावट क्रमश: 10.52% तथा 0.72% रही है । 2009-10 की पहली तिमाही में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद 2009 की ति2 और ति3 में अधोगामी प्रवृति जारी रही। वर्ष 2009 में घरेलू बाजार के लिए निर्दिष्ट वार्षिक उत्पादन में 1.5 लाख मी.ट. की गिरावट आई जो वर्ष 2008 में आई गिरावट की तुलना में 7.5% है ।

133. अत: यह नोट किया जाता है कि घरेलू खपत के लिए नियत उत्पादन कम रहा है और रक्षोपाय शुल्क का घरेलू उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । तथापि, घरेलू उद्योग वर्ष 2008 या 2007 के दौान विद्यमान निष्पादन के स्तर पर पहुंचने में समर्थ नहीं रहा है । इसकी वजह सतत संवर्धित आयात और चीन में कम कीमत पर निर्यात हेतु सोडा ऐश की उपलब्धता है ।

134. **क्षमता उपयोग** : निम्नलिखित तालिका में क्षमता तथा घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना दी गई है :-

तालिका 11

संस्थापित क्षमता					
तिमाही	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	6,75,250	5,94,675	6,57,175	7,19,674	7,19,674
ति2	6,75,250	6,00,758	5,36,505	7,19,674	7,19,674
ति3	6,75,250	6,80,175	6,35,508	7,19,674	7,19,674
ति4	6,18,292	6,81,133	7,19,674	7'19,674	

तालिका 12

संस्थापित क्षमता					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	84	87	81	71	74
ति2	84	81	79	71	65
ति3	90	80	87	75	72
ति4	89	85	80	73	

तालिका13

वार्षिक क्षमता तथा क्षमता उपयोग				
	2006	2007	2008	2009
क्षमता	24,93,900	25,10.321	28,78,696	28,78,696
क्षमता उपयोग	83.98	83.2	74.42	71.2

135. वर्ष 2009 में क्षमता उपयोग वर्ष 2008 के 74.42 के क्षमता उपयोग की तुलना में 71.2% रहा है । यद्यपि, 2009 के दौरान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है और रक्षोपाय शुल्क अप्रैल, 2009 में लगाया गया था । रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से क्षमता उपयोग में तेजी से गिरावट को रोकने में मदद मिली । वर्ष 2009-10 की ति3 में क्षमता उपयोग वर्ष 2009-10 की ति2 के 65% से बढ़कर 72% हो गया परंतु क्षमता उपयोग 2008-09 की ति3 के क्षमता उपयोग से कम रहा ।

136. **मालसूची** : निम्नलिखित तालिकाओं में घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध माल सूची के बारे में सूचना दी गई है ।

तालिका14

मालसूची					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	37,282	26,465	35,822	33,667	81,115
ति2	42,936	39,955	32,061	37,874	62,160
ति3	77,857	44,459	46,997	99,910	83,702
ति4	40,530	28,576	48,891	75,741	

तालिका 15

औसत मालसूची (तिमाही की समाप्ति पर मालसूची का औसत)				
वर्ष	2006	2007	2008	2009
मात्रा (मी.ट.)	37852	35864	55086	75680

137. रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हो रहा है । वर्ष 2009-10 की ति2 में मालसूची 62,160 मी.ट. थी जो 2008-09 की ति2 से दोगुनी से अधिक है । मालसूची में 2009-10 की ति3 में 83,702 मी.ट. के स्तर को पार कर लिया। बढ़ती हुई मालसूची से बाजा के आकार के बढ़ने पर भी अपने उत्पाद को बेचने में घरेलू उद्योग को हो रही कठिनाई का पता चलता है । मालसूची में वृद्धि कम कीमत पर हुए आयातों से उत्पन्न दबाव तथा चीन में उपलब्ध बेशी निर्यात योग्य सोडा ऐश के कारण हुई है ।

138. **लाभ एवं हानि** : निम्नलिखित तालिका में प्रति मी. टन लाभ एवं हानि तथा लाभ एवं हानि दी गई है :-

तालिका 16

प्रति मी.ट. लाभ तथा हानि					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	1,177	2,233	1,494	2,465	2,482
ति2	1,146	1,914	401	2,119	1,397
ति3	1,606	1,918	2,249	1,939	1,150
ति4	2,096	1,789	2,870	3,106	

लाभ तथा हानि (लाख रूपए)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5753	11266	7224	12131	11673
ति2	5814	8530	1626	9933	5532
ति3	7879	9161	11220	8470	5285
ति4	10848	9502	14779	14924	

ग्राफ 5

लाभ तथा लाभप्रदत्ता

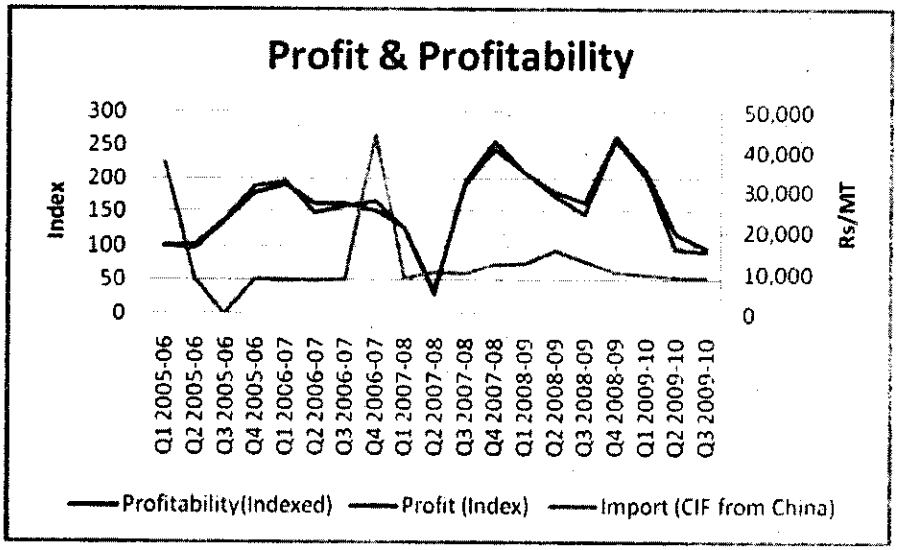

139. प्रति मी.ट. लाभ तथा हानि एवं कुल लाभ के विश्लेषण से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2008-09 की ति3 को छोड़कर 2007-08 की ति3 से 2008-09 की ति4 तक लाभ/मी.ट. में वृद्धि हुई थी । तत्पश्चात लाभ तथा लाभप्रदत्ता में तेजी से गिरावट आई । यद्यपि रक्षोपाय शुल्क अप्रैल, 2009 में लागू किया गया था । रक्षोपाय शुल्क से लाभ एवं लाभप्रदता में आ रही तेजी से गिरावट में रूकावट आई । तथापि, लाभ तथा लाभप्रदता 2007-08 की ति2 को छोड़कर पिछले तीन वर्षों की किसी अवधि से कम बनी रही । लाभप्रदत्ता तथा लाभ में गिरावट की मुख्य वजह चीन से आयात की कीमत में लगातार गिरावट रही है ।

140. **सोडा ऐश की घरेलू कीमतें** : निम्नलिखित तालिका और ग्राफ में प्रति मी.ट. घरेलू निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृति दर्शायी गई है । यह देखा गया है कि वर्ष 2009 में घरेलू निवल बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई । घरेलू निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति चीन की एफओबी की कीमत के समान है जैसा कि चीन से निर्यात के एफओबी मूल्य के घट-बढ़ से पता चलता है ।

निवल बिक्री प्राप्ति					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	7,873	8,404	9,493	12,429	12,877
ति2	8,055	8,760	10,145	14,275	12,129
ति3	8,234	8,620	11,155	14,503	11,894
ति4	8,204	8,650	11,552	14,000	

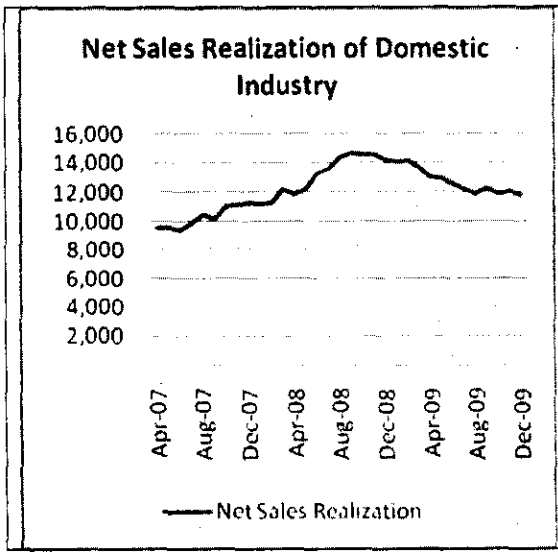

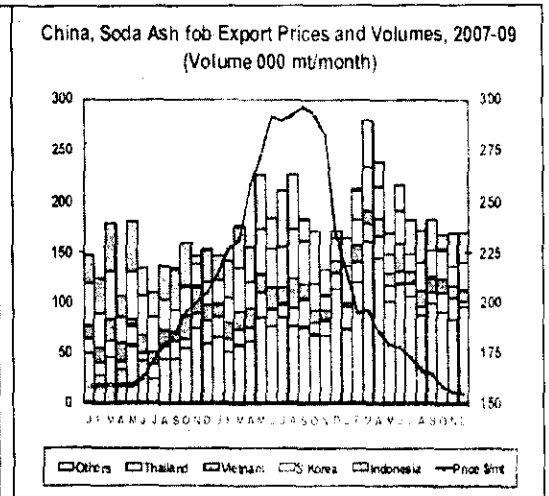

141. **रोजगार:** निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या दर्शायी गई है ।

तालिका: 17

	रोजगार				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	11,629	8,893	10,641	10,996	10,693
ति2	11,436	10,222	10,488	10,897	10,589
ति3	11,721	10,981	10,944	10,979	10,571
ति4	8,999	10,977	10,741	10,867	

142. दिनांक 06.10.2009 के अंतिम जांच परिणाम में यह पाया गया था कि रोजगार का घरेलू उद्योग की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है खासकर तब जब अल्पावधि में सामान्यत: कर्मचारियों की छंटनी संभव न हो । रोजगार के परवर्ती आंकड़ों में ऐसी प्रवृति का पता चलता है ।

143. **उत्पादकता :** प्रति कर्मचारी उत्पादन की दृष्टि से उत्पादकता निम्नलिखित है :-

तालिका 18

	प्रति कर्मचारी उत्पादन (मी.ट/कर्मचारी)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	49	58	50	47	50
ति2	50	48	41	47	45
ति3	52	49	50	49	51
ति4	61	53	54	49	

144. दिनांक 06.10.2009 के अंतिम जांच परिणाम में यह पाया गया था कि उत्पादकता सीमित दायरे में बनी रही और उत्पादकता का बाजार विकृति के निर्धारण अथवा उसके खतरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । परवर्ती आंकड़ों में ऐसी प्रवृति का पता चलता है ।

145. **चीन द्वारा निर्यात के लिए भारत को केन्द्र बनाना :** निम्नलिखित तालिका और रेखाचित्र में चीन से भारत सहित विभिन्न देशों को निर्यात दर्शाया गया है :

तालिका 19

चीन, सोडा ऐश के निर्यात, 2007-2009				
जनवरी - दिसंबर (000 मी.ट.)				
	2007	2008	2009	+/- % 08/09
इंडोनेशिया	395	439	349	-20
दक्षिण कोरिया	395	404	338	-16
भारत	36	82	305	272
थाईलैंड	167	201	191	-5
वियतनाम	196	204	171	-16
जापान	105	127	105	-17
फिलीपीन्स	114	120	101	-15
बंगलादेश	89	117	83	-29
मलेशिया	46	64	68	7
ताईवान	50	46	58	27
कजाकिस्तान	0	7	25	272
आस्ट्रेलिया	1	0	24	n.a
उत्तरी कोरिया	21	26	23	-10
अन्य	22	25	47	88
कुल एशिया -प्रशान्त	**1636**	**1861**	**1889**	**1**
नाईजीरिया	23	74	60	-19
अल्जीरिया	0	23	28	20
सऊदी अरब	0	9	23	145
संयुक्त अरब अमीरात	0	4	15	264
यमन	6	8	8	3
अन्य	23	94	67	-29
कुल अफ्रीका एवं मध्य पूर्व	**52**	**212**	**200**	**-6**
ब्राजील	1	1	63	4333
कोलम्बिया	0	7	31	329
चिली	0	0	14	n.a
वेनेजुएला	1	5	14	206
पेरू	1	5	11	121
अन्य	14	33	34	2
कुल द. एवं म. अमरीका	**17**	**52**	**168**	**223**
इटली	0	1	22	2189
पोलैंड	0	0	20	n.a
स्पेन	0	0	10	n.a
अन्य	0	1	6	376
कुल यूरोप	**0**	**2**	**58**	**2577**
मैक्सिको	0	2	8	407
अन्य	1	0	0	-8
कुल उ. अमरीका	**1**	**2**	**8**	**307**

कुल	1706	2129	2323	9.1

[स्रोत: हरीमन कैमसल्ट फरवरी, 2010]

ग्राफ 7

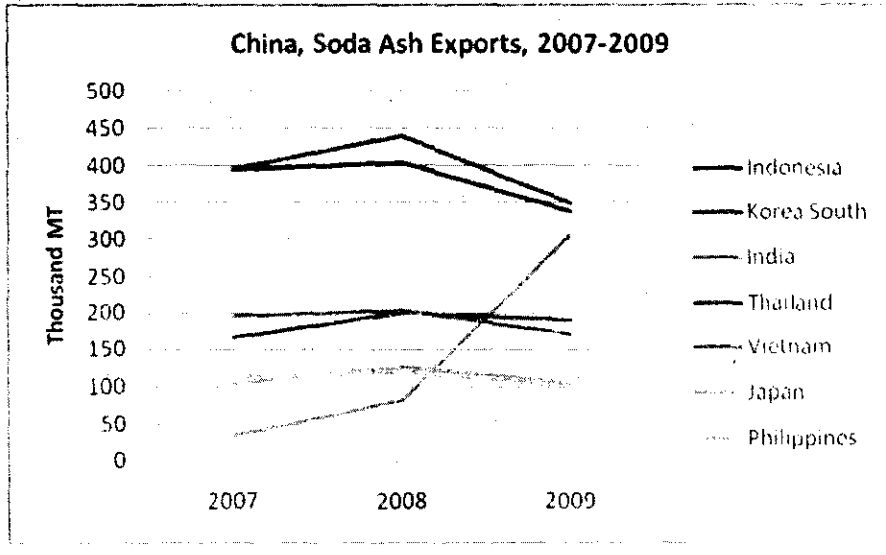

146. चीन के पारंपरिक बाजार अर्थात इंडोनशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम को वर्ष 2009 के दौरान चीन से आयात कम हुए हैं । परंतु भारत को निर्यात में वृद्धि हुई है । चीन का बेशी उत्पादन वर्ष 2009 में 2290 हजार मी.ट. था जबकि 2008 में यह 2127 हजार मी.ट. रहा था । चूंकि चीन के पारंपरिक निर्यात बाजार मंदी पूर्व स्तर पर अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए भारतीय बाजार लक्षित बाजार बना हुआ है जो कि उनके पारंपरिक बाजारों को हुए निर्यात की ऋणात्मक वृद्धि दर के परिप्रेक्ष्य में भारत को हुए निर्यात में 272% की वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है ।

147. **उद्गम या निर्यात के देश में निर्यात क्षमता जो निकट भविष्य में विद्यमान है अथवा विद्यमान रहने की संभावना है और भारत को निर्यात हेतु उक्त क्षमता का प्रयोग किए जाने की संभावना है** : निम्नलिखित तालिका से यह पता चलता है कि चीन के पास सोडा ऐश की उत्पादित बेशी क्षमता उपलब्ध है क्योंकि वर्ष 2009 में सोडा ऐश के उत्पादन में 471 हजार मी.ट. की वृद्धि हुई है परंतु घरेलू खपत में केवल 308 हजार मी.ट. की वृद्धि हुई है । चीन से हुए कुल निर्यात में 194 हजार मी.ट. की वृद्धि हुई जो 2009 में बढ़कर 2323 हजार मी.ट. के हो गए । यह वृद्धि चीन द्वारा इंडोनेशिया और कोरिया के निर्यात बाजार में आई 156 हजार मी.ट. की कमी के कारण हुई है ।

तालिका : 20

चीन, सोडा ऐश निर्यात - मांग, 2006-2009				
जनवरी-दिसंबर (000मी.ट.)				
	2006	2007	2008	2009
उत्पादन	15925	17597	18823	19294
निर्यातक	1810	1706	2129	2323
आयात	142	40	1	32
खपत	14258	15931	16696	17004

[**स्रोत: हरीमन कैमसल्ट** लि.]

समग्र स्थिति का मूल्यांकन

148. उपर्युक्त मापदंडों के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद आयात में गिरावट आई परंतु यह वर्ष 2008 में हुए आयात के स्तर से अधिक बने रहे । प्रवृति के विश्लेषण से संवर्धित वृद्धि दर का पता चलता है क्योंकि 2009 में तिमाही आयात की मात्रा 2008 की मात्रा से अधिक रही है । घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2008 के स्तर से कम रहा है । रक्षोपाय शुल्क का घटते हुए उत्पादन और बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । तथापि, वर्ष 2009 में वार्षिक उत्पादन तथा बिक्री 2008 के स्तर से कम रही है । लाभ एवं लाभप्रदत्ता में गिरावट जारी है जिसकी मुख्य वजह चीन से हुए आयातों की घटी हुई कीमत है । भारत चीन के निर्यातों का संकेन्द्रित गंतव्य रहा है । इसके अलावा, चीन के पास बढ़ती हुई बेशी उत्पादन क्षमता बनी हुई है । अत: बाजार विकृति का आसन्नवर्ती खतरा बना हुआ है ।

अन्य कारक :

149. **निर्यात :** निम्नलिखित तालिका में भारत द्वारा तिमाही निर्यात दिए गए हैं ।

तालिका 21

निर्यात बिक्री (मी.ट.)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	57,133	27,520	37,368	28,860	54,577
ति2	49,594	29,636	16,750	32,704	43,723
ति3	70,142	56,958	30,821	37,773	51,862
ति4	69,280	54,745	52,908	59,639	

150. निर्यात आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत से हुए निर्यात वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में अधिक रहे हैं । उपर्युक्त निर्यातों को छोड़कर उत्पादन के आंकड़ों के विश्लेषण से उत्पादन में गिरावट तथा मालसूची में वृद्धि का पता चलता है । सोडा ऐसा के निर्यात आय घरेलू आय से कम है । घरेलू उद्योग मुख्यत: घरेलू बाजारोन्मुख रहा है । अत: घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर किए गए निर्यात के परिणामस्वरूप बढ़ती हुई मालसूची को कम करने और क्षमता उपयोग को बढ़ाने का प्रयास किया गया है ताकि बिक्री लागत को कम किया जा सके । तथापि, निर्यात में वृद्धि से क्षति कम नहीं हो सकी । अत: निर्यात का क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

151. **भारत में सोडा ऐश की मांग :** निम्नलिखित तालिका में भारत के बाजार आकार को दिया गया है । मांग के विश्लेषण से यह पता चलता है कि:

तालिका 22

बाजार आकार [मांग](मी.ट.)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ति1	5,18,960	5,81,291	5,35,480	5,52,521	6,21,842
ति2	5,51,996	5,26,914	4,75,112	5,35,033	5,54,865
ति3	5,29,349	5,41,789	6,33,516	4,99,931	6,12,515
ति4	5,55,857	5,66,469	6,13,001	5,81,878	

वार्षिक क्षमता तथा बाजार आकार				
	2006	2007	2008	2009
क्षमता	24,93,900	25,10,321	28,78,696	28,78,696
बाजार आकार	22,05,851	22,10,577	22,00,486	23,71,100

152. वर्ष 2008 में वार्षिक मांग में 2007 की तुलना में 10 हजार मी.ट. की कमी आई परंतु 2009 में इसमें 1,70,614 मी.ट. की वृद्धि हुई जिससे 7.75% की वृद्धि का पता चलता है । वार्षिक घरेलू उत्पादन क्षमता 28,78,628 मी.ट. की है जो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

153. **कारणात्मक संबंध :** वार्षिक रिपोर्टों, बिक्री, लाभ, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग के हिस्से के विश्लेषण से यह पता चलता है कि यद्यपि, आयात में वृद्धि हुई है, तथापि मालसूची में वृद्धि हुई और बिक्री, लाभ तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई । चीन में कम कीमत पर सोडा ऐश की उपलब्धता से आयात होने और वास्तविक क्षति होने का खतरा बना हुआ है ।

कारणात्मक संबंध का विश्लेषण

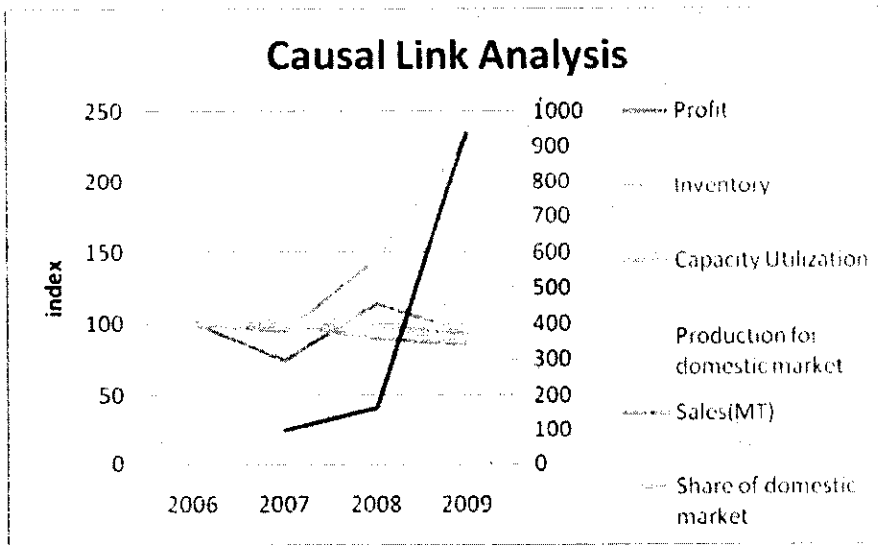

154. **जन हित** : किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक व्यापारियों की परिवर्तनशील और कभी-कभी प्रतिस्पर्धी अभिरूचियां होती हैं । रक्षोपाय शुल्क लगाने से अलग-अलग व्यापारियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं और ये प्रभाव जब व्यापारियों के प्रतिस्पर्धी हित हों तो उन सभी के लिए हो सकता है कि यह सबसे उपयुक्त न हो । अत: निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क लागू किए जाने से पूर्व विभिन्न आर्थिक व्यापारी वर्ग के हितों का विश्लेषण किया गया है ।

155. हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक हित के मुद्दे पर ऐसा कोई नया आंकड़ा या सूचना प्रस्तुत नहीं की है और यह निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व प्रस्तुत तर्क जैसी ही है ।

156. **दिसंबर, 2009 के बाद के घटनाक्रम** : पूर्ववर्ती पैराग्राफों में समस्त संगत कारकों और साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है । तथापि, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि वर्ष 2010 में चीन में कीमतों में सुधार हुआ है और अपने दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए हरीमन कैमसल्ट तथा अन्य पत्रिकाओं का हवाला दिया है । अद्यतित इन पत्रिकाओं का विश्लेषण किया गया था ।

157. मार्च, 2010-संख्या 302 हरीमन कैमसल्ट लि. के अंक में निम्नानुसार उद्धृत है :

"चीन के सोडा ऐश में पिछले माह हुई तीव्र वृद्धि में मार्च में उल्लेखनीय गिरावट आई है । फरवरी में डेंश ग्रेड के लिए आरएमबी 1600/मी.ट. कारखानागत (सीए 235 डॉ./मी.ट.) की कीमत घटकर अब 1450-1550 आरएमबी/मी.ट. कारखानागत (सीए 210-225 डॉ./मी.ट.) हो गई तथा लाइट ग्रेड के लिए यह लगभग 1400-1450 आरएमबी/मी.ट.कारखानागत (सीए 205-210 डॉ.मी.ट.) हो गई । अब यह प्रतीत होता है कि बाजार में पिछले माह कई विशेष कारकों के कारण विकृति आई थी । इनमें से पहला कारक जनवरी में अत्यधिक शरद मौसम तथा भारी हिमपात द्वारा पूर्व में आपूर्ति श्रृंखला में पहुंचाई गई बाधा रही है । इससे भारी मात्रा में उत्पाद को भेजने में बाधा उत्पन्न हुई है । अत: प्रणाली को शुरू करने में विलंब हुआ जिससे कई उपभोक्ता अपना प्रचालन जारी रखने के लिए आपूर्तियां करने के लिए उत्सुक हो गए ।

दूसरा असामान्य कारक फरवरी में नव वर्ष की छुट्टियां रही थीं । अधिकांश खपतकर्ता संयंत्र इस अवकाश के बाद सुचारू पुन: शुरूआत सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियां प्राप्त करने के इच्छुक थे । इस परिस्थिति को उभरती हुई इस अवधारणा ने और बल दिया कि चीन की व्यापक अर्थव्यवस्था संवर्धित गति से आगे बढ़ रही है । परिणामत: आने वाली किसी कमी से बचने की सामान्य मंशा बन गई थी । तीसरा कारक सोडा ऐश के उत्पादकों की लागत में चल रही वृद्धि रही थी । कई उत्पादकों खासकर 16वें पद्धति अपनाने वाले उत्पादकों द्वारा कुछ बढ़ी हुई अवधि के लिए ऋणात्मक मार्जिनों पर प्रचालन किया जा रहा है और इस बात की जागरूकता बढ़ रही थी कि कई प्रतिस्पर्धियों के लिए यह स्थिति निर्णायक बन सकती है । अत: आपूर्ति पक्ष ने अधिक कीमतों का दबाव बनाने के लिए तंग बाजारी स्थितियों का पूरा लाभ उठाया । इन कारकों की वजह से फरवरी में उत्पाद को प्राप्त करने की तात्कालिकता का जन्म दिया जो संपर्ककर्ता फैक्ट्री तबकों की अनिवार्यता की दृष्टि से आपात स्तर पर नहीं था ।

तथापि, अब बाजारी भावनाएं अवकाश के बाद शांत होने लगी हैं तथा सड़क एवं रेल नेटवर्क सामान्य ढर्रे पर आ गया है । "

उनके दावे के समर्थन में पत्रिका में यह उद्धृत किया गया है कि :

"सीमित निर्यात उपलब्धता के प्रभाव को जनवरी में मात्रा में अचानक गिरावट द्वारा भी पुष्टि की जा रही है । पूर्ववर्ती 6 माह की अवधि की तुलना में उक्त माह में लगभग 160,000-170,000 मी.ट./माह के मुकाबले केवल 120,000 मी.ट. का पोत परिवहन किया गया था । इसके अलावा, जनवरी माह की भारी डिलिवरियां एशियाई क्षेत्र को की गई थीं तथा कुछेक सीमित पार्सल दक्षिणी अमरीका तथा अफ्रीका एवं मध्य पूर्व को भेजे गए थे । सीमित मात्रात्मक उपलब्धता के अलावा यह समझा गया है कि भाड़ा दरों के पुष्टिकरण ने वर्ष 2000 के इन पूर्ववर्ती उच्च प्राथमिकता वाले बाजारों से चीन को हटाने में भूमिका निभाई है । इस प्रकार दक्षिणी अमरीका तथा अफ्रीका एवं मध्य पूर्व को जनवरी माह में किए गए पोतलदानों से पिछले वर्ष की तुलना में 15,000-20,000 मी.ट./माह की विशिष्ट दरों में आई पर्याप्त कमी का पता चलता है । एशियाई क्षेत्र के भीतर भी हाल की अवधि की तुलना में सामान्यत: कम कीमत रही है । इस प्रकार भारत को भेजी गई 2000 मी.ट. की मात्रा एक वर्ष की मात्रा से न्यूनतम है और यह तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष के 40,000-50,000 मी.ट./माह की दर के मुकाबले नगण्य है जिसकी वजह से भारतीय आयात शुल्क लगाया गया है । "

अत: चीन में कीमतों में वृद्धि मुख्यत: मौसम संबंधी विषम स्थितियों और स्थानीय कारकों के कारण आपूर्ति में आई बाधा के कारण हुई है । इन कारकों से चीन की घरेलू कीमतें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं और आपूर्ति की बाधा के बाद भी सोडा ऐश की निर्यात कीमत 200 अम.डॉ./मी.ट. एफओबी से कम रही हैं । जनवरी में कीमत दिसंबर में रही 155 अम.डॉ. एफओबी की तुलना में 160 अम.डॉ. एफओबी रही थी । अब कीमत में अस्थायी वृद्धि के कारक मौजूद नहीं हैं और कीमतों में गिरावट शुरू हो चुका है जैसा कि चीन में घरेलू कीमत में घट-बढ़ से पता चलता है जिसे निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है :

चीन, सोडा ऐश की घरेलू कीमतें
वर्ष 2008-2010,डॉ./मी.ट., डेंस, सुपुर्द

China, Domestic Soda Ash Prices
2008-2010, $/mt, dense, delivered

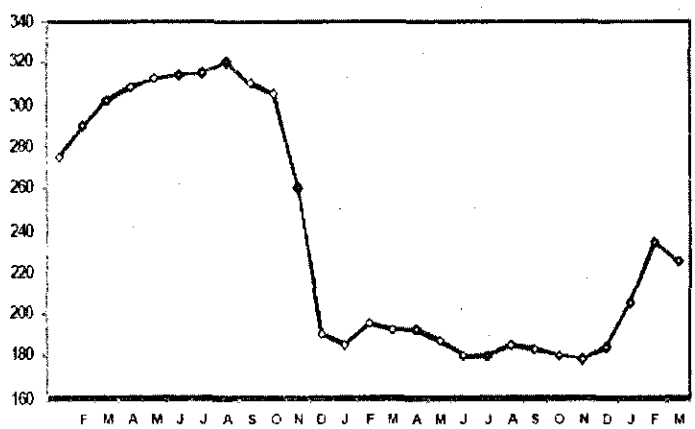

158. अत: रक्षोपाय शुल्क लगाने को जारी रखना सार्वजनिक हित में है ।

निष्कर्ष और सिफारिश

159. उपर्युक्त जांच परिणामों के आधार पर यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग के लिए बाजार विकृति का खतरा बना हुआ है और "बाजार विकृति" को रोकने के लिए अवधि को बढ़ाने के रूप में रक्षोपाय शुल्क जारी रखना आवश्यक है । तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात किए जाने के समय सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 283620 के अंतर्गत आने वाले सोडा ऐश के आयातों पर नीचे उल्लिखित दर पर और अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की जाती है जिसे बाजार विकृति से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए न्यूनतम माना जाता है ।

क्र.सं.	अवधि	शुल्क
1	20.04.2010 से 19.04.2011	16%
2	20.04.2011 से 19.04.2012	14%

[फा. सं. डी-22011/05/2010]

आई. डी. मजूमदार, महानिदेशक (रक्षोपाय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2010

Subject : Safeguard Duty investigation against imports of Soda Ash in to India from People's Republic of China—Final Findings of Review Proceedings.

G.S.R. 318(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 thereof:

A. PROCEDURE

1. An application was filed before me by Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) , 3rd Floor, Pankaj Chambers, Preet Vihar Commercial complex , Vikas Marg, Delhi-110092, for continued imposition of Safeguard duty on imports of Soda Ash into India from China to protect the domestic producers of Soda Ash from threat of market disruption caused by the increased imports from People's Republic of China. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Soda Ash into India from People's Republic of China was issued under Rule 6 of Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 on 19th February, 2010 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.

A copy of the notice was sent to the government of People's Republic of China through their embassies in New Delhi. A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:

Domestic Producers:

1. Tata Chemicals Ltd.

   Leela Business Park,

   Andheri-Kurla Road, Andheri (East)

   Mumbai – 400 059.

2. Saurashtra Chemicals Limited,

   Birlasagar,

   Porbandar 360 576

   Gujarat.

3. Gujarat Heavy Chemicals Limited

   B-38, Institutional Area,

   Sector – 1, Noida – 201 301.

4. DCW Limited,

   "Nirmal" 3rd Floor,

   Nariman Point,

   Mumbai 400 021

5. Nirma Limited

   NCC Office,

   Krishna Nagar,

   Wadhawadi Road,

   Bhavnagar 364 002 Gujarat.

Other Indian producer :

1. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited

   East Coast Centre,

   534, Anna Salai,

   Teynampet,

   Chennai 600 018

Importers

1. Gujarat Guardian Ltd.
   Village - Kondh,

Valia Road,

Palnt Sate Highway No. - 13

Ankleshwar,

Bharuch - 393 001,

2. Float Glass India Ltd.
T - 7, Midc,

Industrial Area,

Taloja, Maharashtra,

3. Alembic Glass Industries Ltd.
Alembic Road,

Baroda (Vadodara),

Gujarat,

4. Deepak Nitrite Limited, Nandesari
4/12, Chemical Complex,

Gidc,

Nanfesari,

Baroda (Vadodara)

Gujarat,

5. Hindusthan National Glass & Ind. Ltd.
Rishra,

West Bengal

6. Hindustan Uniliver Ltd.
Dakshina Building,

8th Floor, Plot No. - 2,

Sector No. - 11,

Cbd Belapur,

Navi Mumbai,

7. Procter & Gamble Hygiene And Health Care
Mandideep Plant L & C - Mfg Plot No. - 182,

Mandideep,

Madhya Pradesh,

8. Albright Morarji & Pandit Ltd.
Ambernath,

Dist. - Thane

Maharashtra

9. Advatech Industries Pvt. Ltd., Dhanali
Village - Dhanali,

At - Kadi District,

Mahesana,

Gujarat,

10. Saint Gobain Glass Ltd.
Sriparumbathur,

Tamilnadu,

Exporters

1. Shandong Haihua Group
Shandong haihua Group Co., Ltd.

Delvelop Zone of Haihua

Weifang City,Shandong 262737,

China.

2. Hebei Tangshan Sanyou Alkali Industry Company
Nanpu Development Area,

TangShan,Hebei,

China

Postcode.063305

3. Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass)
China's Qinghai Delhi Municipal Industrial Park

Zip:817000

4. Tianjin Soda Ash Plant
No.87 Xinhua Road

Tanggu Distric' Tianjin

China

5. Jinshan Chemical co.
China's Zhengzhou City in Henan Province,

Zhengzhou City Fushoushan Street 87,

China

Questionnaires were available to all known domestic producers, importers and exporters. They have been provided 30 days time to respond.

Requests for an extension of time to submit their replies were made by some of the interested parties. The request was considered in light of the need for expeditious investigation. The names and addresses of all interested parties are as follows:

i. The Embassy of People's Republic of China 50, D Shantipath New Delhi
ii. Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), 3rd Floor, Pankaj Chambers, Preet Vihar Commercial Complex, Vikas Marg, Delhi -92
iii. T P M Solicitors & Consultants, K- 3/A, Saket, New Delhi.
iv. Gujarat Heavy Chemicals Limited B-38, Institutional Area, Sector – 1, Noida – 201 301.
v. Saurashtra Chemicals Limited, Birlasagar,Porbandar 360 576,Gujarat.
vi. Tata Chemicals Ltd., Leela Business Park, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai – 400 059.
vii. DCW Limited, "Nirmal" 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021
viii. Nirma Limited, NCC Office, Krishna Nagar, Wadhawadi Road, Bhavnagar 364 002 Gujarat.
ix. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited, East Coast Centre, 534, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600 018
x. Shandong Haihua Group, Shandong haihua Group Co., Ltd., Delvelop Zone of Haihua, Weifang City,Shandong 262737,China.
xi. Hebei Tangshan Sanyou Alkali Industry Company, Nanpu Development Area,TangShan,Hebei, China: Postcode.063305
xii. Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass), China's Qinghai Delhi Municipal Industrial Park, Zip:817000

xiii. Tianjin Soda Ash Plant, No.87 Xinhua Road, Tanggu District Tianjin
xiv. China
xv. Jinshan Chemical co.,China's Zhengzhou City in Henan Province, Zhengzhou City Fushoushan Street 87, China
xvi. Gujarat Guardian Ltd.,Village – Kondh ;Valia Road, Palnt Sate Highway No. – 13, Ankleshwar, Bharuch - 393 001,
xvii. Float Glass India Ltd., T - 7, Midc, Industrial Area, Taloja, Maharashtra,
xviii. Alembic Glass Industries Ltd.,Alembic Road,Baroda (Vadodara), Gujarat
xix. Deepak Nitrite Limited, Nandesari, 4/12, Chemical Complex,Gidc, Nanfesari,Baroda (Vadodara), Gujarat
xx. Hindusthan National Glass & Ind. Ltd.,Rishra,West Bengal
xxi. Hindustan Uniliver Ltd.,Dakshina Building,8th Floor, Plot No. - 2,Sector No. - 11, Cbd Belapur,Navi Mumbai,
xxii. Procter & Gamble Hygiene And Health Care,Mandideep Plant L & C - Mfg Plot No. - 182,Mandideep,Madhya Pradesh,
xxiii. Albright Morarji & Pandit Ltd.,Ambernath,Dist. – Thane,Maharashtra
xxiv. Advatech Industries Pvt. Ltd., Dhanali,Village - Dhanali,At - Kadi District,Mahesana,Gujarat,
xxv. Saint Gobain Glass Ltd.,Sriparumbathur,Tamilnadu.
xxvi. U.P. GLASS MANUFACTURER SYNDICATE, 14-Monapuram. Near Ganesh Nagar, Firozabad-283203, U.P\
xxvii. ASAHI INDIA GLASS LIMITED, 5th Floor, Tower – B, Global Business Park. Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon-122002 (India).
xxviii. FENA (P) LTD.,A-237, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
xxix. DETERGENT MANUFACTURERS ASSOCIATION (DELHI REGION)148. New Okhla Industrial Complex-I, New Delhi-110020
xxx. SAINT GOBAIN,Plot No. A-1, Sipcot Industrial Park. Sriperumbudur-602105.Kanchipuram District, Tamil Nadu.
xxxi. SACI-CHEM, 59 & 60, DSIDC Industrial Complex,Okhla, Phase-I,
a. New Delhi-110020.
xxxii. SHREE UNICON ORGANICS P. LTD., BS-3, Apeejay,130, Bombay Samachar Marg,Mumbai-400023.
xxxiii. CAPEXIL,VANIJYA BHAVAN,INTERNATIONAL Trade Facilitation Centre,1/1, Wood Street, 3rd Floor,Kolkata-700016.
xxxiv. POLLACHI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, R.P. Complex, II Nd Floor, 14, Balagopalapuram Street, Pollachi-642001.
xxxv. VASUNDHARA RASAYAN LTD., C-104, MIDC Industrial Area. Mahed. Dist. Raigad, Maharashtra
xxxvi. SMALL SCALE DETERGENTS & SOAP MFRS. ASSOCIATION
xxxvii. 43, European Asylum Lane, Kolkata-700016
xxxviii. POWER SOAP LTD., 62-B, North Boag Road, T. Nagar, Chennai- 600017, India
xxxix. SHANTI NATH DETERGENTS(P) LTD,P-15, Kalakar Street, Kolkata-700007.
xl. ADVANCE HOME & PERSONAL CARE LTD., Advance Surfactants India Ltd..511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-110038

xli. ALL INDIA FEDERATION OF DETERGENT MFRS. ASSOCIATION, 511/2/1, Village Rajokri, New Delhi-110038

xlii. S. KUMAR DETERGENT P. LTD, Plot No. 34, sector-2, Industrial Area, Pithampur-454775 Dist. Dhar, M.P.

xliii. Advance Surfactants India Ltd.,511/2/1, Village Rajokri,New Delhi-110038

xliv. A.R. Sulphonates, 9, Hemanta basu Sarani, (20, Old Court House Street), 2nd Floor, Cooke and Kelvey Building, Kolkata-700001

xlv. Sai Sulphonates, 21, Princep street, 2 nd Floor,Kolkata-700072

xlvi. A.R. Stanchem Pvt. Ltd, 9, Hemanta basu Sarani, (20, Old Court House Street), 2nd Floor, Cooke and Kelvey Building, Kolkata-700001

xlvii. Hind Silicates Pvt. Ltd., 3A, Auckland Place, 5th Floor, Kolkata-700017

xlviii. Taurus Chemicals (P) Ltd., 318, Swapnalok, 92/93, S.D. Road, Secunderabad-500003, A.P., India

xlix. P & J Cretechem (P) Ltd., 318, Swapnalok, 92/93, S.D. Road, Secunderabad-500003, A.P. India

l. Kishoresons Detergents Pvt. Ltd., 15-9-469, Mahaboobgunj Rd, Hyderabad-500012

li. Gopal Agencies, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004.

lii. J.J. Patel Industries, Gondal Road, B/H Rajkamal Petrol Pump, Vavdi, Rajkot-360004.

liii. Shriram Bharath Chemicals & Detergents (P) Ltd., 1/56, Sanjay Gandhi Nagar, Nochipalayam Road,46, Podhur Village,ERODE-638002

liv. Indian Chemical Merchants & Manufacturers Association, 4, India Exchange Place, Kolkata-700001

lv. President, Bulk Drug Manufacturers Association (India), C-25, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500018

lvi. Indian Council of Small Industries, 19/2, Banamali Naskar Road, 2nd Floor, Kolkata-700060

lvii. The All India Glass Manufacturers' Federation, 812, New Delhi House, 27 Barakhambha Road, New Delhi-110001.

lviii. Crescent Silicate, A-45, Gane Khadpoli M.I.D.C. Chiplun, Dist. Ratnagiri-415604

lix. Gandhi Chemical Works, F-41, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006

lx. Ministry of Commerce of The People's Republic of the China 2, Dong Chang' A Street, Beijing, China,100731

lxi. Modern Glass Industires, Coal Siding Road, Firozabad-283203 (U.P)

lxii. Adarsh Kanch Udyog (P) Ltd., Coal Siding Road,Firozabad-283203 (U.P)

lxiii. Advance Lamp Component & Table Wares Pvt. Ltd.,E-24,IInd Floor Jawahar Park, Laxmi Nagar, Vikas Marg, New Delhi-110092

lxiv. Pragati Glass Pvt. Ltd., 111, Damji Shamji Industrial Complex,9. LBS Kurla (W) Mumbai-400070

lxv. Gora Mal Hari Ram Ltd.,39 Najafgarh Road Ind. Area,New Delhi-110015

lxvi. Rohit Surfactants(P) Ltd.,117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur-05

lxvii. Astral Glass Pvt. Ltd., Adinath Towers 'A', 2nd Floor, Nancy Colony Off Western Express Highway Borivali (EAST), Mumbai-400066

lxviii. BDJ Glass Industries Pvt. Ltd.,1 Kyd Street, Place Court,1st Floor, Suite – 14 A, Kolkata- 700016

lxix. Indian Glass Manufacturers' Association, B-6, Shivalik, New Delhi-110017

lxx. The Dyes & Chemical Merchants Association, 4 Mandir Street, Kolkata-700073

lxxi. Hipolin Limited, "Madhuban", 4th Floor, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

lxxii. The Federation of all India Dyes &Chemicals Merchants Association 16, Maharana Pratap Sarani, 2nd Floor, Room No. 5, Kolkata -700001

lxxiii. Athena Law Association, 808, L & T Building, Sector – 18B, Dwarka, New Delhi-110075

lxxiv. Lakshmi Kumarn & Sridharan, B-6/10, Safdarjang Enclave,New Delhi-110029

lxxv. Shri Hari Industries, 47, Shree Veerbhai Maa Niwas, Shastri Nagar Square, Nagpur-440008

lxxvi. Maharashtra Small Scale Soap, Detergent & Cosmetic Manufacturers Association, 47, Shree Veerbal Maa Niwas, Shastri Nagar Square, Nagpur-8

lxxvii. Hindusthan National Glass & Industries Ltd., 2, Red Cross Place, Kolkata-700001

lxxviii. Jagatjit Industries Limited, Plot No. 78, Sector-18,Institutional Area, Gurgaon-122001

lxxix. Indian Council of Small Industries, 19/2, Banamali Naskar Road,2nd Floor, Kolkata-700060

lxxx. Pitamber Glass Works, Chameli Bagh,Agra Road, Firozabad-283203

lxxxi. Ashoke Enamel & Glass Works Private Limited, 34A, Metcalfe Street, 1st Floor,Kolkata-700013

lxxxii. Advance Lamp Component & Table Wares Private Limited, E-24, IInd Floor, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi-110092

lxxxiii. Haldyn Glass Gujarat Limited, 9, Gayatri Commercial Complex, Behind Mittal Industrial estate No. 5, Andheri Kurla Road, Marol Naka, Andheri (E),Mumbai-400059

lxxxiv. AGI Glasspac, 2, Red Cross Place, Kolkata-700001

lxxxv. Piramal Glass, Piramal Tower Peninsila Corporate Park Ganpatrao Kadam Marg, Lower parel, Mumbai-400013

lxxxvi. Ganesh Beads Industries, Dholpura, Near Industrial Area,Agra Road, Firozabad-283203

lxxxvii. Shri Jagdamba Industries, B-13, Industrial Area, Firozabad-283203

lxxxviii. Empire Industries Limited, Empire House, 414, Senapati Bapat, Lower Parel, Mumbai-400013

lxxxix. Adarsh Kanch Udyog (P) Ltd., Coal Siding Road, Firozabad-283203

xc. Modern Glass Industries, Coal Siding Road, S.N. Road, Firozabad-283203

xci. Bharat Glass Tube Ltd., 501, 5th Floor, Astron Tower, Satellite,Ahmedabad-380015

5. A public hearing was held on 19th March, 2010. In order to meet the concerns raised during the public hearing, another Public Hearing was held on 29th March, 2010. All

interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties.

6. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination. As there are large number of interested parties who have filed their submissions, their contentions and the issues arising there from are dealt with at appropriate places without making specific name of the interested party for the sake of brevity.

7. The information presented by domestic producers was verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. Further, the cost data has also been verified and certified by cost accountant. The non confidential version of verification report is kept in the public file.

Views of domestic producers in India

8. The domestic producers have stated as follows:

9. The imports from China continued to be higher than the previous year ever after imposition of safeguard duty. This import from China is in spite of the fact that the country is self sufficient. Traditionally the domestic producers had a share of between 85%-90% of the domestic demand which has now shrunk to a level of about 75% the balance being met by imports.

10. The import from China is at lower price than from the other country. The export price from China is continuously falling. The CIF value of import of Soda Ash has decreased till December 2009. The decrease in CIF value has substantially neutralized the effect of safeguard duty.

11. The production in China has gone up disproportionately to their low demand. The Chinese Soda Ash Industry has a capacity of 26.00 million MT, which is likely to go up to 28 million MT by April 2010. This is 8 times the size of India. The domestic demand scenario in China has been subdued leaving very large surplus.

12. India continues to be the focus for export. Fresh capacity in China has come up and further fresh capacities are likely to be continuance in 2010.

13. M/s Tata chemical, M/s GHCL, M/s Saurashtra Chemicals Ltd., M/s DCW Ltd and M/s Nirma Ltd. continues 100% of the production and thus they constitute the Domestic Industry.

14. Both light Soda Ash and dense Soda Ash are imported from China and are manufactured by the Domestic Industry. Therefore, both cumulatively constitute product under consideration.

15. The Production has improved on account of safeguard duty but the production in the year 2009 remains lower than the production in 2008.

16. The total sales in 2009 are less than the total sales in2009.

17. The capacity utilization follows the trend of production as there is no increase in capacity.

18. The profitability and profit continues to be to fall as import price from China is falling. The Domestic Industry is finding it difficult to sale their products as apparent from the high inventory.

19. The employment is showing decline.

20. The injury to the domestic industry is on account of import from China at low prices.

21. The threat of market disruption still exists and if the safeguard duty is not extended the Domestic Industry would suffer losses in terms of loss of Production, loss of Sales, lower Capacity utilization, loss of employment, loss of market share, and if the domestic industry is to match the price of China, the industry would be in deep loss, and running the Soda Ash industry would not be viable.

22. The slight increase in prices during Jan-Feb.2010 is on account of severe cold which disrupted the transport and production. Further, the local holidays in China during Den.-Jan.2010 cost supply crunch which pushed up the price. The March prices have gone down to their earlier level. Further, the long term forecast is that the prices of China would remain lower.

23. Therefore, it is submitted that the Safeguard Duty should be allowed to continue beyond 19th April, 2010 as the domestic industry would suffer injury in absence of the Safeguard duty.

Views of the Government of China and Exporters

24. The Government of China through consultant and others have made following submissions:

25. Before proceeding to initiate an investigation, consultations should have been held in terms of Article 16.1 of CAP. They argued that this is an investigation for imposing Transitional Product-Specific Safeguard Measures (TPSSM) as contemplated under

Article 16 of China's Accession Protocol to WTO (CAP). Article 16.1 of CAP requires prior consultation. The Article 16.1 reads as follows:

16. Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism

1. In cases where products of Chinese origin are being imported into the territory of any WTO Member in such increased quantities or under such conditions as to cause or threaten to cause market disruption to the domestic producers of like or directly competitive products, the WTO Member so affected may request consultations with China with a view to seeking a mutually satisfactory solution, including whether the affected WTO Member should pursue application of a measure under the Agreement on Safeguards. Any such request shall be notified immediately to the Committee on Safeguards."

26. However, GOC regrets to note that the Investigating Authority failed to provide such consultation opportunity before the initiation of the investigation. From the time prior to the initiation of investigation till date (even after the approval of preliminary findings), no communication has been received by GOC through proper channels. In the opinion of GOC, this runs not only against the basic principles of WTO but also runs counter to the obligations to be assumed by the Investigating Authority. Consequently, this has seriously deprived the rights of GOC.

27. The words '*seeking mutually satisfactory solution, including whether the affected WTO* Member *should pursue application of a measure under the Agreement on Safeguards*' appearing in Article 16.1 of CAP clearly imply that no investigation should have been initiated without prior consultation.

28. In this particular case, India did not seek consultations with China under Article 16.1 of CAP. As a WTO Member, the basic WTO principles to be adhered to and the obligations to be assumed shall not be ignored or reduced by any means when conducting an investigation. Since no opportunity of consultation under Article 16.1 of CAP has been provided to GOC, the TPSSM investigation should be terminated immediately.

29. They have quoted Extract from the Communication dated 1-Nov-2002 by the Head of Chinese Delegation to the WTO Committee on Safeguards:

" *I would like to voice our great concerns over the resort to the transitional product-specific safeguard mechanism under paragraph 16 of China's Protocol of Accession by any other WTO Member. The transitional product-specific safeguard mechanism itself goes against the basic WTO principle of non-discrimination, and China took note of the fact that many members of Working Party on China's Accession expressed that* ***utmost restraints will be exercised in having recourse to the said mechanism and that it will only be applied under very special circumstances where***

other trade remedy measures are not effective. *We hope that other WTO members will honour this understanding. Frequent recourses to this mechanism of such nature can only damper China's enthusiasm to take an active and constructive role in the multilateral trading system."*

30. They have not been provided with mandatory 30 days time to file reply and thus initiation is bad in law.

31. They also contended that the imports are falling and thus there are no increased imports. The imports from China decrease in Q3 and Q4 of 2009. January 2010 had a mere 2000MT of export to India. Further, imports from other countries have increased.

32. The Production, sales, capacity utilization and market share are showing upward trend.

33. The companies who manufacture soda ash have made huge profits.

34. There is no Volume effect, Price effect which can show consequent impact on domestic industry. Further, no price effect is established in the application.

35. The Claims about Surplus Chinese Capacities etc are unsubstantiated.

36. The market share of import from China is small in Indian market. The Capacity utilisation, sales, production and sales realisation do not support extension of measure.

37. The low export, net sales realization may be the cause of lower profit. The other factors that may have cause injury should be considered.

Views of Importers/users industries

38. The All India Federation of Detergent Manufacturers (AIFDM), All India Glass Manufacturers Association [AIGMF], I-Glass, Saint-Gobain Glass India Ltd, Aashi India Glass Ltd, Gujarat Guardian Ltd., Hindustan Level Ltd Rohit Surfactants Pvt Ltd and others made the following submissions through their counsel:

39. They quoted WTO Appellate Body: United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea *"it is useful to recall that safeguard measures are extraordinary remedies to be taken only in emergency situations. Furthermore, they are remedies that are imposed in the form of import restrictions in the absence of any allegation of an unfair trade practice. In this, safeguard measures differ from, for example, anti-dumping duties and countervailing duties to counter subsidies, which are both measures taken in response to unfair trade practices..."'* and contended that the safeguard measure should be taken in only exceptional circumstances.

40. Two of the domestic producers own manufacturing facilities abroad. TATA Chemicals took over Magadi Soda in Kenya in December 2005 and GHCL took over S C Bega Upsom S A in Romania in 2005. Imports from China have gone down in recent period and imports from other countries have gone up. The continued safeguard measures on china only would help their imports from Kenya/Romania. They have chosen the TPSSM measure targeting only the imports from China for this reason only. Thus, they are using

TPSSM as a measure not to protect their Indian operations but to ensure a free market to export from Kenya or Romania. TPSSM is not intended to serve such purposes.

41. The domestic industry has taken a highly protectionist approach and has formed a cartel. They have adopted a policy to sell less and to earn more profit by keeping higher margins per MT. They have no concern for users and thus imposition is against public interest.

42. The imports are inevitable as they sell their product at supernormal profit.

43. As a matter of fact DI is running in profit and profits are increasing, there is no case for significant material injury caused by imports from China.

44. The Indian caustic soda is quite efficient as evident from the cost of Indian production compared with others.

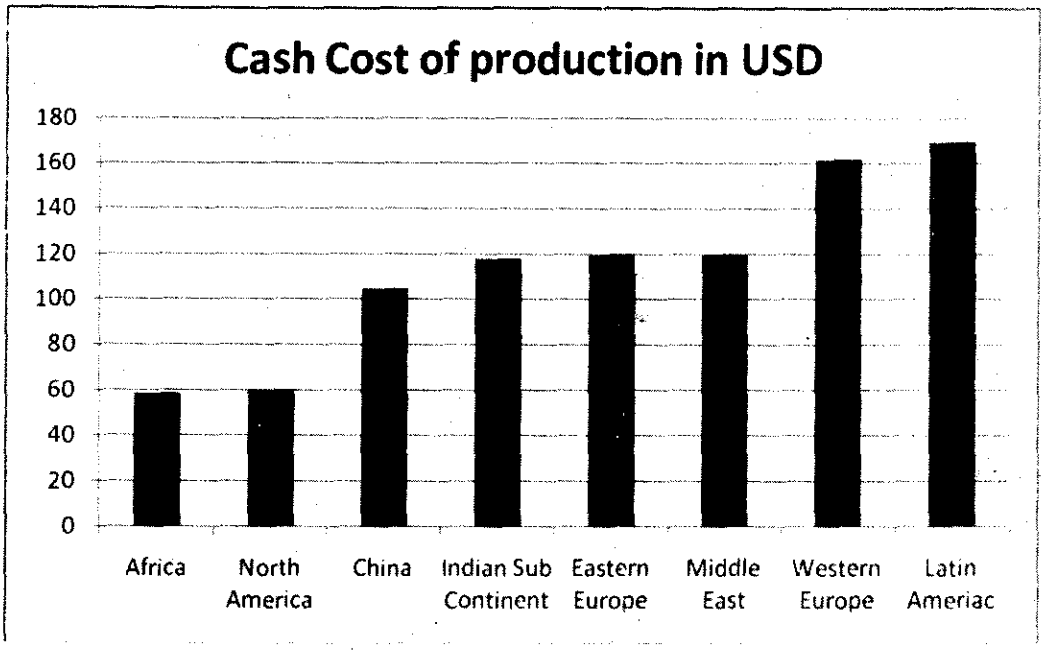

45. The review proceeding are without jurisdiction. The entire proceeding are ab-initio void being without jurisdiction. The issue of jurisdiction should be decided upfront by the Directorate General of Safeguards before proceeding into the merits of the case. The powers of a Director General are restricted either to recommend continued imposition or to recommend withdrawal. In both the situation, there is no scope to examine the desirability of extending the period of duties already in force. The variation of duties for the remaining period of duties as already imposed is possible only when such imposition exceeds 3 years. No power has been conferred on the Director General of Safeguard to vary the duties if the initiated for a period less than 3 years to extend the period in any situation. The continued imposition in the existing form or in varied form does not mean the duty to go beyond the period of initial imposition.

46. No extension of duty is permissible under Rule 17. Any extension of duty amounts to fresh imposition of Duty which can be done only based on an initiation under Rule 5.

47. There is no express power of review anywhere under the act and the authority and legality of the power to be read under the power under section 8C only.

48. The specific request for imposing duty for more than one year was already considered by the then DG(safeguards) and has been rejected and this decision of not imposing duty for more than one year has attained finality. The decision of DG (SG) cannot be reviewed once it attained finality.

49. Extension of safeguard duty is not in conformity with the Agreement on safeguard. The Article 7(5) provides that *"no safeguard measure shall be applied again to the import of a product which has been subjected to such a measure, taken after the date of entry into force of the WTO Agreement, for a period of time equal to that during which such measure had been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years"*

50. They have not been provided with mandatory 30 days time to file reply and thus initiation is bad in law. Adequate time to present views on the notice of initiation was also not given. The initiation notice and the subsequent public hearing is bad in law so far as it curtails right to effective defense. The time granted for filing written submission and rejoined is inadequate.

51. The legal obligations and established procedures were ignored. The Second Public hearing is rendered meaningless as no sufficient time has been given.

52. Dense soda and light soda are two distinct products with distinct uses. Glass industry uses dense soda only. There is no commercial substitutability on account of prohibitive cost for use of light soda in glass industry. Light soda if used for glass industry, the cost of soda ash per MT of glass produced will go up substantially on account of lower yield for light soda. Light soda will damage the plants and equipment leading to frequent maintenance and breakdowns. More than 80% import of soda ash from China is of light soda. Therefore, the two are different products. If at all dense soda is brought under the purview of safeguard investigation, there has to be separate analysis for Dense Soda Ash. There is no case of China Specific Safeguard duty as imports from other countries have increased.

53. They also contended that the imports are falling and thus there are no increased imports. Further, there is no evidence to show that imports continued to be in "such increase quantity". It is necessary that increased quantity of imports have to be established in the case of review also. The imports after December, 2009 have drastically gone down. The export value of during January and February, 2010 is very high.

54. A safeguard measure is based on a "no fault principle" and is applied on imports that are made fairly and not with the intention to hurt the domestic industry. As such the bar for proving market disruption, or even considering the application of a safeguards measure is

higher than that of other trade remedies. Furthermore, interpretations need to be cons... as narrowly as possible so as to minimize the impact on free trade.

55. The Production, sales, capacity utilization and market share are showing upward trend. The companies who manufacture soda ash have made huge profits. There is no volume effect, Price effect which can show consequent impact on domestic industry. Further, no price effect is established in the application. The Claims about Surplus Chinese Capacities etc are unsubstantiated

56. There is no case of market disruption as all parameters show improvement during Q1, Q2 and Q3. Further, the petitioner has filed Anti-dumping petition and thus the safeguard investigation should be terminated.

57. DI is controlling the market and is unilaterally fixing the prices in total disregard to their own cost of production which is evident by higher profits at lower sells volume. There is neither any injury to Domestic Industry nor any market disruption and thus there cannot be any causal link between increased imports and alleged market disruption. Whatever imports have taken place, they were caused by the adamant attitude of DI to sell at higher prices in spite of reduction in costs. It's not that imports are causing injury. Rather imports are caused by DI approach of taking their buyers for a ride.

58. There is no instance of "Market Disruption" or "threat of Market Disruption" for the domestic industry as market share, production, sales has shown improvement. The data of capacity utilization shown that there is a sustained trend in the performance of domestic industry.

59. The companies producing Soda Ash have made substantiate profits as apparent from their balance sheets.

60. The market disruption is a pre-condition even for the continued imposition of Safeguard duty.

61. There is no evidence to justify the extension of safeguard duty beyond the earlier prescribed period.

62. In the event of Anti-dumping remedy sought by domestic industry, the director general could not have initiated the present investigation.

63. The Domestic Industry emphasis on prices proves that this case does not fall in purview of Safeguard. The issue must be viewed by the Director General of Anti-dumping.

64. There is no correlation between the quantum of imports from China and profit registered by the Domestic Industry.

65. There is no causal link between the alleged threat of Market Disruption and the imports from China as Production, Sales, Capacity Utilization, profits do not have any correlation with imports from China.

66. The installed capacity of the Domestic Industry is much more than the demand in this country. The same is bound to keep part of the capacity ideal and would turn in cost of capacity production.

67. The submissions on inventory are misleading as not past inventory has not been separated.
68. Imports from related company at higher prices are nothing but mere transfer of profit from one to another pocket.
69. The price decrease cannot be the basis for the safeguard duty. There is no market disruption. The inherent disadvantage on account of location factors can't be a basis for imposition of safeguard duty.
70. There is no injury which can justify constitution of Safeguard duty. The lower capacity utilization may be on account of product diversion.
71. The public interest requires that the DG may terminate the present reviewing investigation as Soda Ash constitute for almost 40% of raw material in detergent manufacturing business. A continued duty of 20% would at least result into 7-10% increase in cost of production, which would result into an equivalent amount of price hike in economy segment detergents.
72. The benefits of the Safeguard duty are singular. It would result in net benefit of 20% to the five domestic companies who are already making huge profits.
73. There have been substantive import into India from Tasmania and Romania where the majors constituent of Domestic Industry namely TCL and GHCL have acquired manufacturing facilities.
74. There is difference in safeguards and Anti-dumping laws and practice relating to the concept of material injury and threat of material injury under the anti-dumping agreement which is distinct and distinguishable from the concept as existing under the China specific Safeguard duty in protocol on the accession of the People's Republic China.
75. The landed price of soda ash from China is more than landed price of Soda Ash from other countries.
76. The Domestic Industry has cost advantage as they have backward integrated production facilities.
77. The Domestic Industry has shown robust operational perfectness in terms of Sales, Production, Capacity Utilisation, Export and Profit. The increase in inventory has no causal link with increase in import.
78. The Domestic Industry is planning expansion of capacity by de-bottlenecking which shows sign of healthy growth of business.
79. The Market Disruption, if exists, is artificial and caused by considered decision of domestic industry.
80. The Domestic Industry is not able to utilize its full capacity because of geographic difference between the consumer and producer industry.
81. The domestic industry has referred some decision of other investigation in the matter of Safeguard duty. These are irrelevant as these investigations are not comparable.

82. There is no causal link between increased import and threat of serious injury. The allegation of subsidy or reduced price in China is not relevant and at best should be raised before the Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties.

83. The extension of Safeguard duty beyond 19/04/2010 is not allowed under the present situation in force and thus the investigation should be terminated. The import data is unrealistic.

84. 'Wheel' detergent is a most widely used brand which caters to about 70% consumer including rural consumers. It is representative of both India's population and its price movements are comparable to price movements of Soda Ash since there are no signification other cost which would distort the picture.

85. Soda Ash is crucial to the detergent industry. 50% of all soda ash in India is consumed by SOPA detergent Industry. Low price detergent use 20-25% of Soda Ash by weight, while premium detergents consume 30-35% of Soda Ash by weight. The current Safeguard Duty has an impact of 7-10% of to final consumers and hence has a severe impact to the public interest.

86. The AMAI has long standing habit of availing trade protective measures. It is an attempt to perpetuate protective measures with a motive of profiteering.

87. Current situation for price prevailing China in its domestic and export market needs to be considered, if any threat is to be evaluated and not past reports as shown by applicants.

88. Soda is like onion, used in wide range of industries. In fact in August 2008 Government was contemplating a ban on export of Soda Ash to check rising prices (reported in ET dated 2/8/2008.)

89. There is no adjustment plan whatsoever with the DI. China having acceded to WTO. Agreement on Safeguards is applicable in the present case, which talks about adjustment plans. Therefore in absence of adjustment plan, the application needs to be rejected.

90. Assuming that there is market disruption, the market disruption is not on account of imports.

91. Public Interest: Soda ash is used in an array of industries for manufacturing various finished products. A non-exhaustive list of the same has been provided below:

i. Household Detergents
ii. Soaps
iii. Cleaning Compounds
iv. Float Glass
v. Container and specialty Glasses
vi. Large variety of heavy & industrial chemicals

vii. Extensively used in
viii. Textile Industry
ix. Paper Industry
x. Metallurgical Industries
xi. Desalination Plants
xii. Water Treatment
xiii. Rubber Industry
xiv. Leather Industry
xv. Aluminium Industry
xvi. Soda Ash is also a key ingredient in the manufacture of
xvii. Bulk Drugs
xviii. Saccharin
xix. Safolin

92. Given this myriad uses of soda ash, it is obvious that any imposition of safeguard duty is going to adversely affect the end users and consumers of a variety of products. It would further result into undue benefit for integrated producers like Nirma. Once the imports from China are subjected to safeguard duty, the domestic industry would easily import from its affiliates in Kenya and Romania and hike prices at the cost of the interest of the end users and consumers.

93. In short, the review proceedings may be terminated.

EXAMINATION AND FINDINGS

94. The case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting nation have been analysed. Submissions made by the various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below.

Jurisdiction:

95. The Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Transitional Product Specific Safeguard Duty on imports from the People's Republic of China. The section 8C(1) provides imposition of safeguard duty on the article if the article is being imported into India from the Peoples Republic of China, in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause market disruption to domestic industry. The Section 8C does not impose any restriction on the number of times the Safeguard Duty can be imposed or the period for which the Safeguard Duty can be imposed except under Section 8C (5), where it is provided that the Safeguard Duty shall expire immediately after 4 years from the date of imposition, but the period of imposition of Safeguard Duty can be extended up to 10 years from the date on which the Safeguard

Duty was first imposed. Therefore, the Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 provides for imposition of Safeguard Duty, continued imposition of Safeguard duty including extension of the period of Safeguard Duty or imposition of new Safeguard duty.

96. The Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 provides the manner and principles governing investigation.

97. Some of the interested parties have argued that the rule does not provide for extension of period of safeguard duty. Their argument is based on the premise that the meaning of continued imposition of Safeguard duty does not include extension of the period of Safeguard duty. Therefore, the meaning of 'continue' has been studied.

98. The Cambridge dictionary defines 'Continue' as "to keep happening, existing or doing something, or to cause something or someone to do this; "to start to do something again after a pause[1]"

99. The Merrium Webster dictionary defines 'Continue' as "to maintain without interruption a condition, course, or action"; "to remain in existence" ; "to remain in a place or condition"; " to resume an activity after interruption"; "keep up, maintain"; "to keep going or add to : prolong"; "to resume after intermission[2]"

---

[1] *continue verb*

/kənˈtɪn.juː/

- *[I or T] to keep happening, existing or doing something, or to cause something or someone to do this*
- *[I] to start to do something again after a pause*

Source: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/continue

*2 Main Entry: **con·tin·ue***

Pronunciation: \kən-ˈtin-(ˌ)yü

Function: verb

*Inflected Form(s): **con·tin·ued; con·tinu·ing***

intransitive verb 1 : to maintain without interruption a condition, course, or action <the boat continued downstream>

2 : to remain in existence : ENDURE <the tradition continues>

100. The meaning of 'extend' is to stretch out in distance, space or time[3];

101. Therefore, the meaning of 'continue' and 'extend' do not have mutually exclusive connotation. If something is extended the natural corollary is, it continues, if something has to continue beyond a period, it has to be extended.

102. Further, the Rule 17(1)(i) of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 provide for recommendation for the continued imposition of that duty if such safeguard duty is necessary to **prevent** or remedy **"market disruption"**. It means review can take place even in case of threat of market disruption.

103. It is the duty of the Director General under Rule 4 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 to review the need for continuation of the Safeguard duty. The review is possible only through the investigation for which initiation is a prerequisite condition. Therefore, the harmonious reading of section 8C, Rule 4, Rule

---

3 : to remain in a place or condition : STAY <cannot continue here much longer>
4 : to resume an activity after interruption <we'll continue after lunch>transitive verb 1 a : KEEP UP, MAINTAIN <continues walking> b : to keep going or add to : PROLONG <continue the battle>; also : to resume after intermission
2 : to cause to continue <chose not to continue her subscription>
3 : to allow to remain in a place or condition : RETAIN <the trustees were continued>
4 : to postpone (a legal proceeding) by a continuance
Source: http://www.merriam-webster.com/dictionary/continue

[3] Main Entry: **ex·tend**
Pronunciation: \ik- stend\
Function: *verb*
transitive verb **1** : to spread or stretch forth : **unbend** <extend*ed* both her arms>
2 a : to stretch out to fullest length **b** : to cause (as a horse) to move at full stride **c** : to exert (oneself) to full capacity <could work long and hard without seeming to extend himself> **d** (1) : to increase the bulk of (as by adding a cheaper substance or a modifier) (2) : **adulterate**
3 [Middle English, from Medieval Latin *extendere* (from Latin) or Anglo-French *estendre,* from Old French] **a** *British* : to take possession of (as lands) by a writ of extent **b** *obsolete* : to take by force
4 a : to make the offer of : **proffer** <extend*ing* aid to the needy> <extend*ing* their greetings> **b** : to make available <extend*ing* credit to customers>
5 a : to cause to reach (as in distance or scope) <national authority was extend*ed* over new territories> **b** : to cause to be longer : **prolong** <extend the side of a triangle> <extend*ed* their visit another day>; *also* : to prolong the time of payment of **c** : **advance**, **further** <extend*ing* her potential through job training>
6 a : to cause to be of greater area or volume : **enlarge** <extend*ed* the patio to the back of the house> **b** : to increase the scope, meaning, or application of : **broaden** <beauty, I suppose, opens the heart, extend*s* the consciousness — Algernon Blackwood> **c** *archaic* : **exaggerate**
intransitive verb **1** : to stretch out in distance, space, or time : **reach** <their jurisdiction extend*ed* over the whole area>
2 : to reach in scope or application <his concern extend*s* beyond mere business to real service to his customers>
Source: http://www.merriam-webster.com/dictionary/extend

16 and Rule 17, read with the meaning of 'extend' and 'continue' clearly requires investigation for the need of continued imposition of Safeguard duty including the need for extension of the existing duty.

104. Therefore, the investigation for continued imposition of Safeguard Duty beyond 19/04/2010, with or without pause, is well within the law.

105. Accordingly, the investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

Product under Investigation

106. **Product under Investigation:** The product under investigation is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na2CO3. Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. It has been referred as "Soda Ash" in this order. Soda Ash is classifiable under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The domestic industry produces both types of Soda Ash and the imports are also of both types. The difference in the two types is bulk density. Chemically both types of Soda Ash are same. There is no significant difference between the imported dense soda ash from China and domestically produced dense soda ash in terms of physical or chemical characteristics. Further, there is also no significant difference between imported light soda ash and domestically produced light soda ash in terms of physical or chemical characteristics. The imported soda ash and domestic soda ash have similar or identical sales channel. The sales of both are done through direct sale to end users, distributors or retail. These products have common uses and are commercially interchangeable. Price information is readily available and the products concerned and the products of the domestic producers compete mainly on price. Therefore, the imported soda ash is 'like or directly competitive' to the domestically produced soda ash.

Domestic Industry

107. Section 8C(7)(a) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

(b) "Domestic industry" mean the producers –

i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India;

ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

108. The important domestic producers in India who manufacture Soda Ash are following:

ii. Tata Chemicals Ltd,

iii. Gujarat Heavy Chemicals Limited,
iv. Saurashtra Chemicals Limited,
v. DCW Limited,
vi. Nirma Limited and
vii. Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers Limited.

109. The shares of these producers are as mentioned in the Table 1 below. The following producers have requested to be considered as 'domestic industry'.

1. M/s Tata Chemicals Ltd. Andheri (East), Mumbai,
2. M/s Gujarat Heavy Chemicals Limited, Noida,
3. M/s Saurashtra Chemicals Limited, Birla Sagar, Porbandar, Gujarat,
4. M./s DCW Ltd, Nariman Point , Mumbai and
5. M/s Nirma Ltd., Bhavnagar, Gujarat.

Table-1

Share of individual producers in total production of India					
	Name of unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	DCW Ltd.	3.81%	3.80%	3.90%	3.91%
2	GHCL Ltd.	23.35%	24.70%	28.37%	29.49%
3	Nirma Ltd.	22.95%	21.66%	17.21%	18.31%
4	Saurashtra Chemicals Ltd.	10.64%	6.57%	13.26%	11.51%
5	Tata Chemicals Ltd.	35.37%	39.17%	37.27%	36.78%
6	Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%
	GRAND TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Share of Indian Producers who have disclosed their information	96.11%	95.91%	100.00%	100.00%
	Share of other Indian Producers	3.89%	4.09%	0.00%	0.00%

110. It is found that their production of Soda Ash accounts for 100% of total Indian domestic production in 2008-09. As the Collective output of the above mentioned producers constitute 100% of the total production of Soda Ash in India and there is no contention by any of the interested parties that these producers do not constitute domestic industry, the above mentioned domestic producers constitute the 'domestic industry' within the meaning of 'domestic industry' defined under Sec 8C (7) of the Customs Tariff Act, 1975.

Methodology and Source of information

111. For the purpose of import data reliance has been placed on DGCIS figures up to FY 2007-08 and IBIS for the subsequent period. The IBIS figures were compared with Customs data and necessary corrections have been made. The transaction wise details of the information have been kept in the public file. The other economic parameters relating to all manufacturers of India have been sourced from the Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) and individual units. If any other information is used the source is mentioned with the information.

112. For the purpose of analysis, quarterly figures have been used for analysis. In order to obviate effects of seasonal variation, if any, the comparison has been made with corresponding period of preceding years. Further, while conducting analysis of economic factors for the determination of market disruption or threat of market disruption trend analysis using polynomial of order 2 and order 3 has been conducted.

113. **Imports:** The table below gives the Quarterly import figures relating to Soda Ash.

Table 2

	Soda Ash Imports from China Quantity (In MT)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	17,836	2,256	10,046	1,10,329
Q2	19,112	6,362	10,716	53,686
Q3	7,929	21,268	20,261	48,560
Q4	16	7,804	67,624	-

Table 3

Soda Ash Imports from Other Than China Quantity (In MT)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	58,923	49,666	50,333	41,195
Q2	62,139	63,236	55,566	83,735
Q3	56,241	1.13,356	42,825	91,070
Q4	35,326	90,233	33,778	-

Table 4

Total Soda Ash Imports into India Quantity (In MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	30,166	76,759	51,922	60,379	1,51,523
Q2	44,637	81,251	69,598	66,282	1,37,421
Q3	38,733	64,170	1,34,623	63,086	1,39,630
Q4	38,280	35,342	98,037	1,01,402	-

114. The increase in import from China started in the month of December 2008. The pace of increase in import slowed down on account of safeguard duty. However, the quarterly imports remained above the quarterly imports in previous years even after imposition of safeguard duty. The imports from China in year 2009 is 2,80,199 MT against 48,827 MT in 2008.

115. **Relative share of imports:** The share of imports in the total market size of India has been as follows:

Table 5

Year		Market Share (%)		
		China	Domestic Producers	Others
2005-06	Q1	0.01	94.19	5.81
	Q2	0.91	91.91	7.18
	Q3	0	92.68	7.32
	Q4	0.72	93.11	6.17
2006-07	Q1	3.07	86.80	10.14
	Q2	3.63	84.58	11.79
	Q3	1.46	88.16	10.38
	Q4	0.00	93.76	6.24
2007-08	Q1	0.42	90.30	9.28
	Q2	1.34	85.35	13.31
	Q3	3.36	78.75	17.89
	Q4	1.27	84.01	14.72

2008-09	Q1	1.82	89.07	9.11
	Q2	2.00	87.61	10.39
	Q3	4.05	87.38	8.57
	Q4	11.62	82.57	5.80
2009-10	Q1	17.74	75.63	6.62
	Q2	9.68	75.23	15.09
	Q3	7.97	77.16	14.87

116. The market share of imports from China increased till Q1 of 2009-10 but it started declining on account of safeguard duty from Q2 of 2009-10. However, share of imports of china remained much above the share in past three years.

Conditions Under Which Import from China Taking Place.

117. The Table below contains import prices from China and the graph below contains graphical representation of value/MT of imports from China and other countries. Further the table below contains the quarterly average value of import.

Table 6

Import Prices – China (Rs./MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	37,817	8,503	9,184	12,559	10,008
Q2	8,765	8,492	10,540	15,721	9,354
Q3	-	8,824	10,300	13,221	8,976
Q4	8,794	44,446	12,393	10,649	

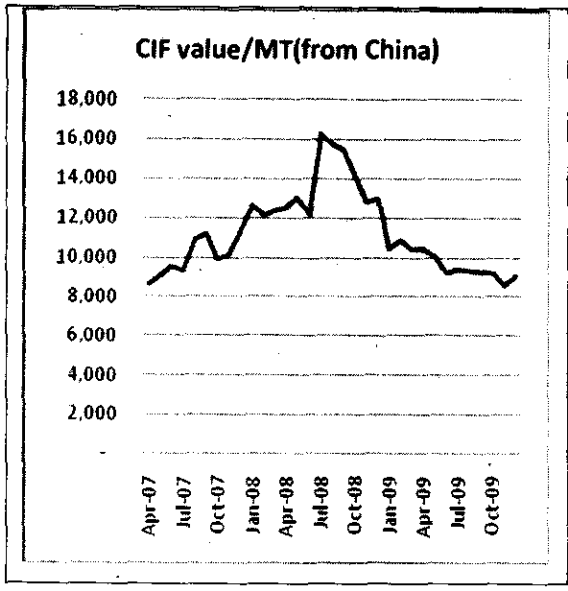

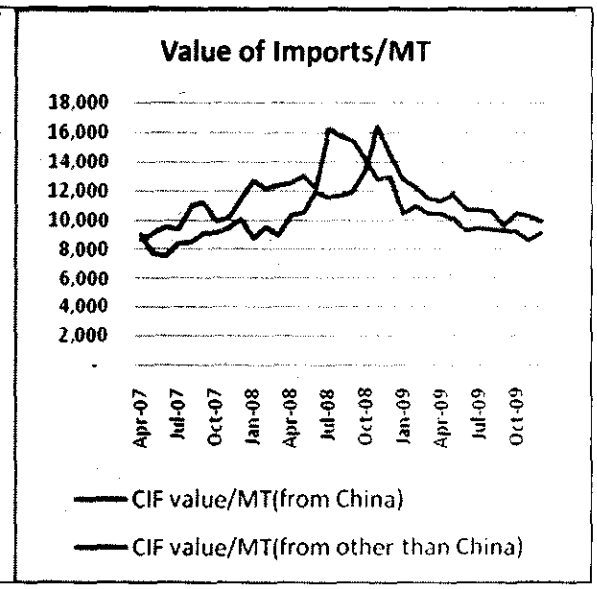

118. The imports from China used to be at higher price than imports from other countries prior to October, 2008. The trend changed after the financial meltdown and Chinese imports started taking place at prices lower than the price of import from other countries. The trend continued during the year 2009. It is also seen that the import price from China continue to fall during the year 2009. The fall in CIF value in Q3 and Q2 of 2009-10, compared to the respective quarters of previous year has been 32.1% and 29.25% respectively.

119. **Reasons of continued imports from China:** The final findings dated 6.10.2009 explained that the unprecedented and uneven recession, which started in mid 2008 led to slow down in many nations. The effect of recession has been different in different countries. The general slowdown on account of recession caused fall in demand both in domestic as well as export market of China, leading to surplus available capacity in China. In order to deal with such situations, the unconventional market was explored by China. India has not been a conventional market of China as is apparent from the quantity of imports into India from China, which was very small till September, 2008. However, after recession affected the world economy Indian market became important for China, which is apparent from the increased imports from China at lower value. On account of sudden reduction in price by China, the imports from China grew rapidly and China became the main importer of Soda ash to India.

120. The circumstances existed at that time continues as surplus production and capacity continues to exist. India had become very important market for China and it continues to be the focus market. China exported 36 Thousand MT and 82Thousand MT to India in 2007 and 2008 respectively, but total exports to India reached 305 Thousand MT in 2009. The export to India by China increased 3.7 times from 82 Thousand MT in 2008 to 305 Thousand MT in 2009 even after imports to India from China attracted safeguard duty. This increase in export to India has been in the back drop of decrease in export to Indonesia, South Korea, Vietnam and Philippines, which have been the traditional market of producers of Soda Ash in China. Thus, India remains focus market for China as also apparent from the graph below. This continued focus of producers of Soda Ash in China to Indian market has led to higher imports in India from China even after Safeguard duty.

Graph 3

Exports by China to India and Other Countries

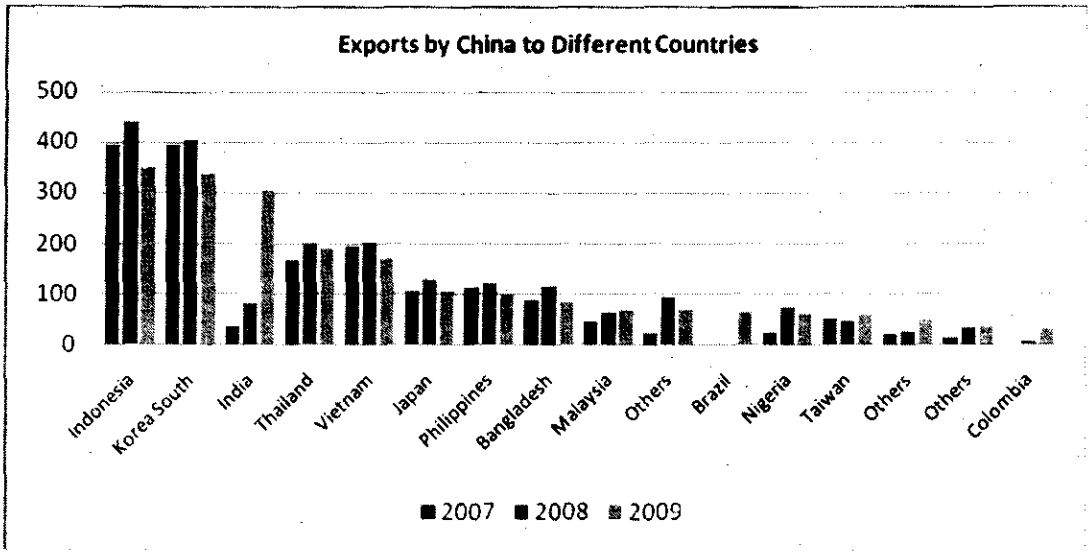

Evaluation of evidences relating to Threat of Market Disruption:

Statutory framework:

121. The Section 8C (7)(b) of the Customs Tariff Act, 1975 explains that 'market disruption' shall be caused whenever imports of a like or a directly competitive article produced by the domestic industry, increase rapidly, either absolutely or relatively, so as to be a significant cause of material injury, or threat of material injury to the domestic industry. It also defines 'threat of market disruption' to mean a clear and imminent danger of market disruption.

122. However the definition of 'material injury' is not found either in the Act or Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002. Therefore, the practice followed in past investigations by the Directorate and laws and practices of other countries were studied. It was noted that the law of USA relating to safeguard duty against imports of China provides definition of 'material injury'. The term 'material injury' appears in Section 406 of the Trade Act, 1974 of USA and Title VII of the Tariff Act, 1930 of USA. Title VII of the Tariff Act of 1930 defines 'material injury' to mean "harm which is not inconsequential, immaterial, or unimportant".

123. It is also noted that the market disruption test in intended to be more easily met than the serious injury tests. The term material injury represents a lesser degree of injury than the term 'serious injury'.

124. Accordingly, it is found appropriate, in analyzing market disruption or threat of market disruption to consider all factors as mentioned in the rules and other factors which are relevant for determination of market disruption or threat of market disruption. No single

factor has been considered as dispositive and all relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition that are relevant to the affected industry has been considered. The determination of market disruption or threat of market disruption is based on evaluation of overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry.

Identification of relevant factors:

125. The following factors have been considered appropriate and relevant to determine existence of continued threat of market disruption or market disruption;

(i) Rate of increase of imports
(ii) Share of the domestic market taken by increased imports
(iii) Change in level of sales
(iv) Production
(v) productivity
(vi) Capacity utilization
(vii) Profits & losses
(viii) Employment
(ix) Export capacity in the country of origin or export, as it stands or is likely to be in the foreseeable future and the likelihood that the capacity will be used to export to India.
(x) India as focus to Exports by China
(xi) inventory

126. **Rate of increase of imports:** In order to assess the rate of increase of imports trend of imports since April 2005 has been studied by drawing trend lines of polynomials of order 2. The trend is as shown in the chart below. The trend lines show that the rate of increase in imports is substantial. It is also noticed that the imports increased continuously since Q2 2008-09 to Q1 of 2009-10. The imports declined after imposition of Safeguard duty in April, 2009. However, the trend analysis in continuous time line with polynomial of order 2 shows that the overall trend continues to show acceleration. The quarterly analysis of imports after imposition of safeguard duty shows that the import continues to take place in large volume. The analysis of import quantities in Q2 and Q3 in past four year shows that individual quarters also have accelerated increase in imports. In other words the rate of increase in quarterly imports is growing, if analyzed each quarters independently even after imposition of safeguard duty. Further, the overall trend in continuous time line also shows positive rate of increase in imports, even though last two quarters show decline in imports after imposition of safeguard duty compared to immediately preceding quarters.

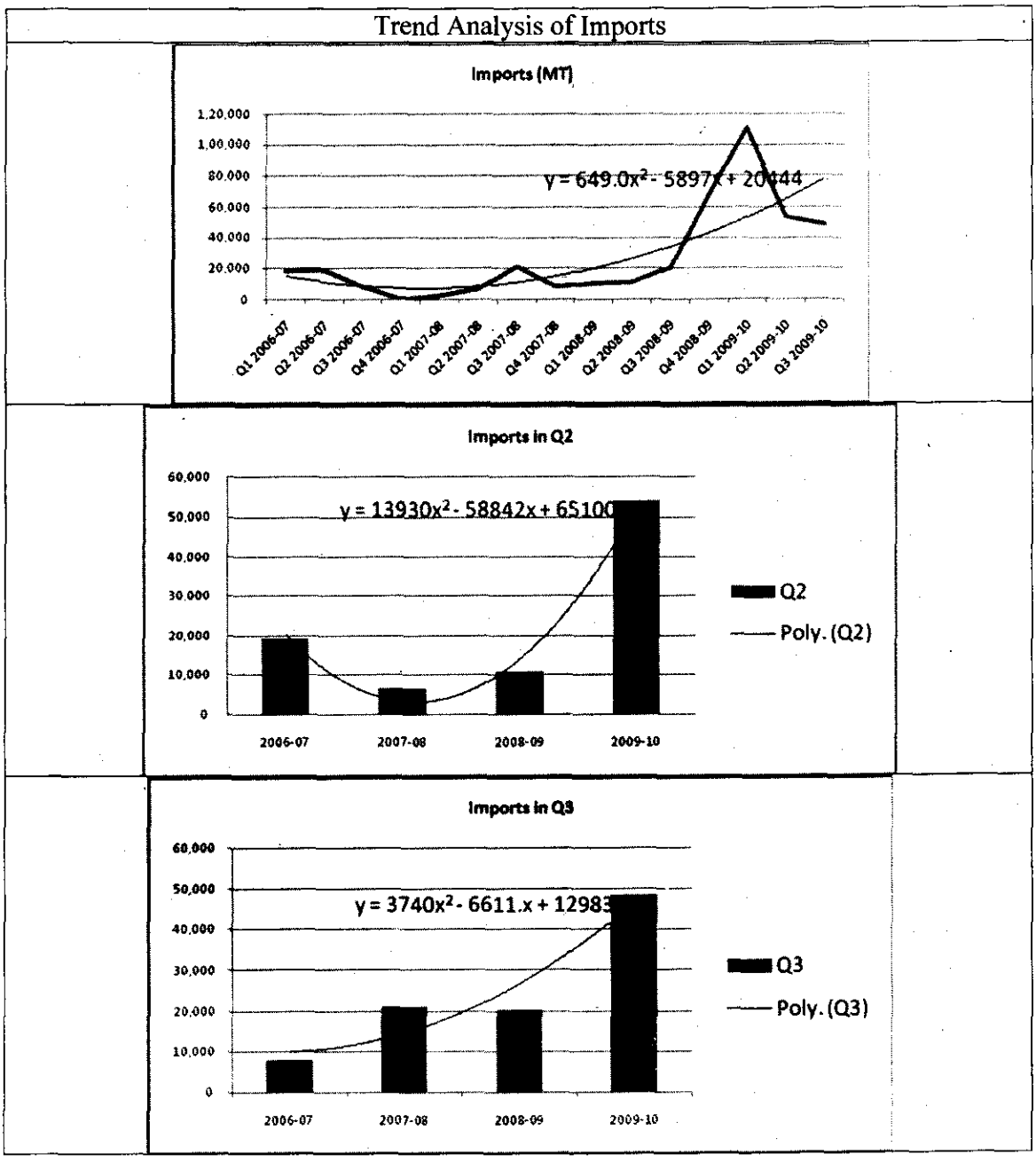

127. **Share of domestic market taken by increased imports from China:** The table and graph below gives information about market share of domestic industry:

Table 7

Market Share of domestic industry (%)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	87	90	89	76
Q2	85	85	88	75
Q3	88	79	87	77
Q4	94	84	83	

The market share of domestic industries has been less than 80% in the year 2009, which had always been above 80% (up to 89.07% in Q1 of 2008-09). The imposition of safeguard duty in April, 2009 has been able to impede fall in market share of domestic industry, however, it did not reach the 2008 level. The market share of imports from China fell after imposition of safeguard duty, but it remained much above the 2008 level. It is also noticed that the market share of China in domestic market has partly shifted to other countries after imposition of safeguard duty, which is a natural phenomena as imports from other countries do not attract safeguard duty and China had taken share of other countries prior to imposition of safeguard duty.

128. **Change in level of Sales:** The table below gives quarter wise sales by domestic industry.

Table 8

Quarters	Sales (MT)				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	4,88,794	5,04,532	4,83,558	4,92,142	4,70,319
Q2	5,07,359	4,45,663	4,05,514	4,68,751	3,95,987
Q3	4,90,616	4,77,618	4,98,893	4,36,845	4,59,594
Q4	5,17,577	5,31,127	5,14,964	4,80,476	

Table 8A

	Annual Sales (MT) [January-December]			
Year	2006	2007	2008	2009
Quantity (MT)	1945390	1919092	1912702	1806376

129. The Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 witnessed 6.7% and 4.43% fall compared to Q4 of 2007-08 and Q1 of 2008-09 respectively. The Q4 of 2008-09 was the period when imposition of provisional duty was recommended and Q1 of 2008-09 is the period when provisional safeguard duty was imposed. In spite of imposition of safeguard duty in Q1 of 2009-10, the sales decreased as compared to same quarter of previous year. However, the Q3 of 2009-10 witnessed improvement in sales by 5.2% compared to previous year, which is primarily on account of safeguard duty. It is also noticed that the total sales during 2009 fell by 1 Lac MT compared to 2008, which shows fall by 5.6%.

30. **Production:** The tables below gives gross production by domestic industry as well as production reduced by production exported (production net of exports) quarter wise. The production net of exports has been analyzed to study the effect of exports in production as well as trend of production meant for domestic consumption.

Table: 9

Gross Production (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5,65,853	5,15,924	5,32,360	5,12,342	5,34,576
Q2	5,68,648	4,87,595	4,25,305	5,11,118	4,67,571
Q3	6,07,843	5,40,916	5,51,124	5,42,399	5,19,181
Q4	5,49,985	5,79,708	5,76,499	5,28,162	

Table 10

Production Net of Exports (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5,08,720	4,88,405	4,94,992	4,83,482	4,79,999
Q2	5,19,054	4,57,960	4,08,555	4,78,414	4,23,847
Q3	5,37,702	4,83,958	5,20,302	5,04,626	4,67,318
Q4	4,80,705	5,24,963	5,23,591	4,68,523	

Table 9A

Annual Gross Production (MT)				
Year	2006	2007	2008	2009
Quantity (MT)	20,94,420	20,88,497	21,42,358	20,49,490

Table 10A

Annual Production Net of Exports (MT)				
Year	2006	2007	2008	2009
Quantity (MT)	19,11,028	19,48,812	19,90,113	18,39,687

131. The production in Q4 of 2008-09 is down by 8.38% if compared with corresponding quarter of previous year. The production in Q4 of 2008-09 is the minimum in Q4 of any year starting from 2005-06.The production in Q1 of 2009-10 is higher than that of 2008-09. The production in Q2 and Q3 of 2009-10 remained lower than the corresponding quarter of 2008-09 in spite of the safeguard duty imposed on imports from China. The annual gross production in 2009 fell by 92,868 MT, which shows fall of 4.33%. In fact the annual production in 2009 was lowest in the past four years.

132. The production net of exports shows that decrease in production meant for domestic consumption in Q4 of 2008-09 and Q1 of 2009-10 by 10.52% and 0.72% respectively. The down ward trend continued in Q2 and Q3 2009 even after imposition of safeguard duty in Q1 of 2009-10. The annual production meant for domestic market fell by 1.5 Lac MT in 2009, which is 7.5% decline over 2008.

133. Therefore, it is noted that the safeguard duty has had positive impact on the domestic industry. However, the domestic industry has not yet been able to reach the performance, which existed during 2008 or 2007, on account of continuing increased imports and available soda ash for exports at lower prices in China.

134. **Capacity utilization:** The table below gives information about capacity and capacity utilization of domestic industry;

Table 11

Installed capacity					
Quarter	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	6,75,250	5,94,675	6,57,175	7,19,674	7,19,674

Q2	6,75,250	6,00,758	5,36,505	7,19,674	7,19,674
Q3	6,75,250	6,80,175	6,35,508	7,19,674	7,19,674
Q4	6,18,292	6,81,133	7,19,674	7,19,674	

Table 12

Capacity Utilisation					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	84	87	81	71	74
Q2	84	81	79	71	64
Q3	90	80	87	75	73
Q4	89	85	80	73	

Table 13

Annual Capacity and Capacity Utilization				
	2006	2007	2008	2009
Capacity	24,93,900	25,10,321	28,78,696	28,78,696
Capacity Utilization	83.98	83.2	74.42	71.2

135. The capacity utilization in the year 2009 has been 71% against 74% capacity utilization in 2008 even though there is no capacity addition during 2009 and safeguard duty was imposed in April, 2009. The imposition of safeguard duty helped from steep fall in capacity utilization. The capacity utilization in Q3 of 2009-10 reached 73% from 64% in Q2 of 2009-10, but the capacity utilization remained lower than the capacity utilization of Q3 of 2008-09.

136. **Inventory:** The Tables below give information about inventory available with domestic industry.

Table 14

Inventory					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	37,282	26,465	35,822	33,667	81,115
Q2	42,936	39,955	32,061	37,874	62,160
Q3	77,857	44,459	46,997	99,910	83,702
Q4	40,530	28,576	48,891	75,741	

Table 15

Average Inventory (Average of inventory at the end of Quarter)				
Year	2006	2007	2008	2009
Quantity (MT)	37852	35864	55086	75680

137. The inventory with the domestic industry is increasing even after imposition of safeguard duty. The inventory in Q2 of 2009-10 was 62160 MT, which is almost double of Q2 of 2008-09. The inventory in Q3 of 2009-10 was 83,702MT. The rising inventory reflects difficulty faced by the domestic industry in selling their product even when the market size is rising. The increase in inventory is on account of pressure faced by imports at lower prices as well as available surplus exportable soda ash in China.

138. **Profit and loss:** The table below gives profit and loss per MT and Profit and Loss.

Table 16

Profits and loss Per MT					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	1,177	2,233	1,494	2,465	2,482
Q2	1,146	1,914	401	2,119	1,397

Q3	1,606	1,918	2,249	1,939	1,150
Q4	2,096	1,789	2,870	3,106	

Profits and loss (Rs. Lacs)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5753	11266	7224	12131	11673
Q2	5814	8530	1626	9933	5532
Q3	7879	9161	11220	8470	5285
Q4	10848	9502	14779	14924	

Graph5

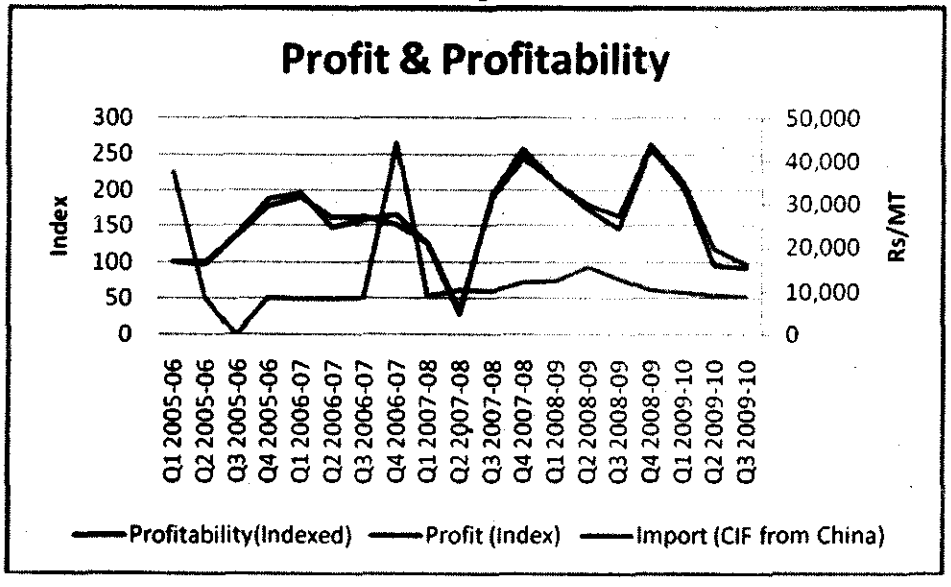

139. The analysis of profits and loss per MT as well as total profit shows that the domestic industry had growth in profit/MT from Q3 of 2007-08 to Q4 of 2008-09, with exception in Q3 of 2008-09. The profit and profitability have witnessed sharp decline thereafter, even though a safeguard duty was imposed in April, 2009. The safeguard duty has been able to

prevent steep fall in profit and profitability. However, the profit and profitability remained lower than any period in past three years except the Q2 of 2007-08. The main reason of the fall in profitability and profit is continuous fall in prices of imports from China.

140. **Domestic Prices of Soda Ash:** The Table and Graph below gives the trend of domestic net sales realization per MT. It is seen that the domestic net sales realization has gone down during 2009. The trend of domestic net sales realization is similar to FOB prices of China as apparent from the movement of FOB value of exports from China.

Net Sales Realization					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	7,873	8,404	9,493	12,429	12,877
Q2	8,055	8,760	10,145	14,275	12,129
Q3	8,234	8,620	11,155	14,503	11,894
Q4	8,204	8,650	11,552	14,000	

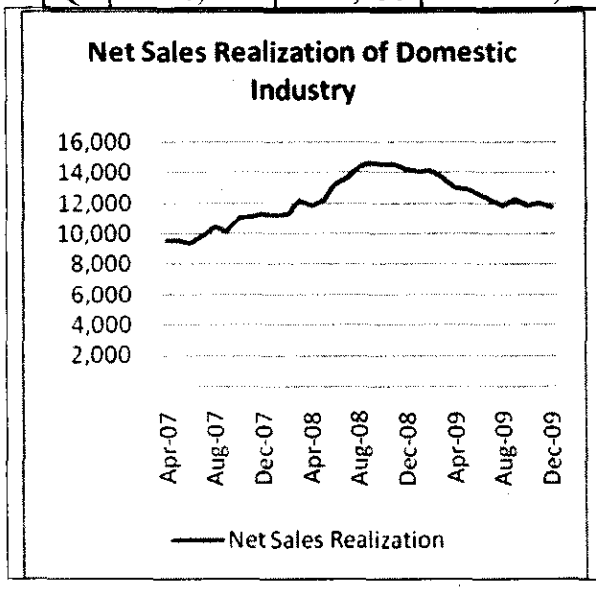

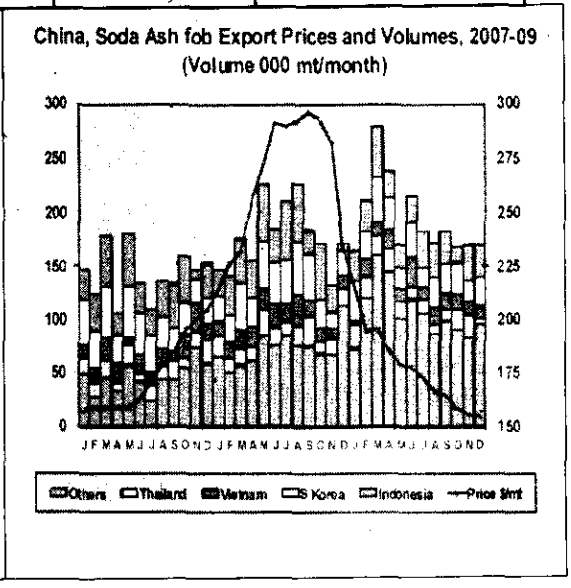

141. **Employment:** The table below shows number of employees employed by domestic industries.

Table: 17

Employment					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	11,629	8,893	10,641	10,996	10,693

Q2	11,436	10,222	10,488	10,897	10,589
Q3	11,721	10,981	10,944	10,979	10,571
Q4	8,999	10,977	10,741	10,867	

142. It was observed in the final findings dated 6.10.2009 that the employment has no bearing on the position of industry more so when retrenchment of employees is normally not possible in short duration. The subsequent employment figures show similar trend.

143. **Productivity:** The productivity in terms of production per employees is as follows:

Table 18

Productivity Per employee (MT/employee)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	49	58	50	47	50
Q2	50	48	41	47	45
Q3	52	49	50	49	51
Q4	61	53	54	49	

144. It was observed in the final findings dated 6.10.2009 that the productivity remains range bound and there is no bearing of productivity on determination of market disruption or threat of market disruption. The subsequent information show the similar trend.

145. **India as focus to Exports by China:** The table and graph below is about exports from China to various countries including India.

Table 19

China, Soda Ash Exports, 2007-2009					
January - December (000 MT)					
	2007	**2008**	**2009**	**+ / - %**	**08/09**
Indonesia	395	439	349	-20	
Korea South	395	404	338	-16	
India	36	82	305	272	

Thailand	167	201	191	-5
Vietnam	196	204	171	-16
Japan	105	127	105	-17
Philippines	114	120	101	-15
Bangladesh	89	117	83	-29
Malaysia	46	64	68	7
Taiwan	50	46	58	27
Kazakhstan	0	7	25	272
Australia	1	0	24	n.a
Korea North	21	26	23	-10
Others	22	25	47	88
Total Asia-Pacific	**1636**	**1861**	**1889**	**1**
Nigeria	23	74	60	-19
Algeria	0	23	28	20
Saudi Arabia	0	9	23	145
United Arab Emirates	0	4	15	264
Yemen	6	8	8	3
Others	23	94	67	-29
Total Africa & M East	**52**	**212**	**200**	**-6**
Brazil	1	1	63	4333
Colombia	0	7	31	329
Chile	0	0	14	n.a
Venezuela	1	5	14	206
Peru	1	5	11	121
Others	14	33	34	2
Total S & C America	**17**	**52**	**168**	**223**
Italy	0	1	22	2189
Poland	0	0	20	n.a
Spain	0	0	10	n.a
Others	0	1	6	376
Total Europe	**0**	**2**	**58**	**2577**
Mexico	0	2	8	407
Others	1	0	0	-8
Total N America	**1**	**2**	**8**	**307**
Total	**1706**	**2129**	**2323**	**9.1**

[Source: Harriman Chemsult February, 2010]

Graph 7

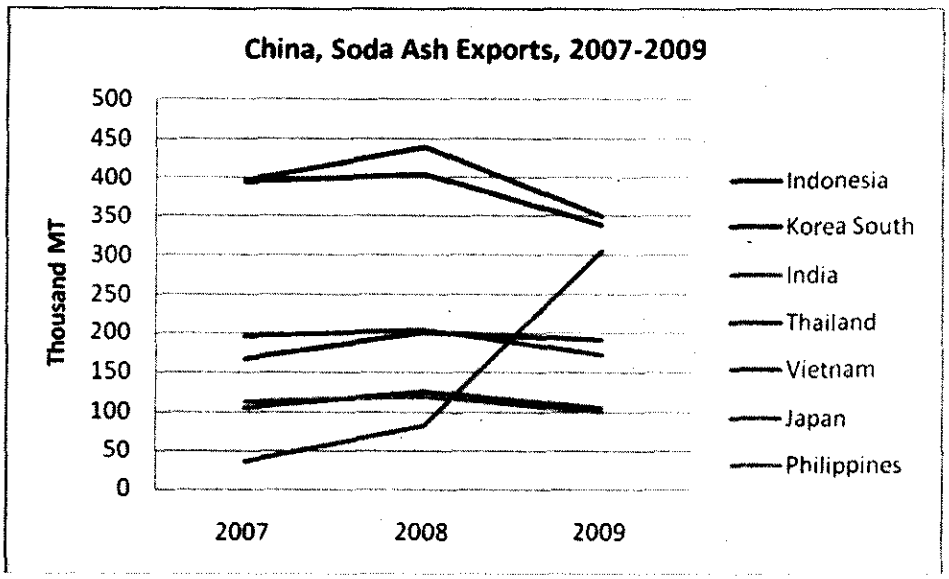

146. The traditional market of China namely Indonesia, South Korea, Vietnam has seen lower exports from China but exports to India has grown during 2009. The surplus production of China in 2009 was 2290 Thousand MT against 2127 Thousand MT in 2008. The Indian market remains a target market, which is apparent from 272% of growth of export to India at the back drop of negative growth rate of export to their traditional markets.

147. **Export capacity in the country of origin or export, as it stands or is likely to be in the foreseeable future and the likelihood that the capacity will be used to export to India** : The table below shows that China continues to have surplus available produced soda ash, as Production of Soda Ash increased by 471 Thousand MT in 2009 but the domestic consumption could increase by only 308 Thousand MT only. The total export from China increased by 194 Thousand MT to reach 2323 Thousand MT in 2009. This increase in the backdrop of loss of 156 Thousand MT loss of export market of Indonesia and Korea alone by China.

Table : 20

China, Soda Ash Supply-Demand, 2006-2009				
January-December (000MT)				
	2006	2007	2008	2009
Production	15925	17597	18823	19294
Exports	1810	1706	2129	2323
Imports	142	40	1	32
Consumption	14258	15931	16696	17004

[**Source: Harriman** Chemsult Ltd.]

Evaluation of overall position:

148. The evaluation of above mentioned parameters shows that imports have gone down after imposition of safeguard duty but it remained above the level which used to be in the year 2008. The trend analysis shows accelerated rate of growth as the quarterly import quantity in 2009 continues to be more than what it used to be in 2008. The market share of domestic industry remains below 2008 level. The safeguard duty has had positive impact on falling production and sales. However, annual production and sales in 2009 remained below the 2008 level. The profit and profitability continues to decline, which is primarily on account of falling prices of imports from China. India remains focused destination of exports by China. Further, China continues to have growing surplus production and surplus capacity. Therefore, the imminent threat of market disruption continues.

Other factors:

149. **Exports:** The table below gives quarterly exports by India.

Table 21

Export Sales (MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	57,133	27,520	37,368	28,860	54,577
Q2	49,594	29,636	16,750	32,704	43,723
Q3	70,142	56,958	30,821	37,773	51,862
Q4	69,280	54,745	52,908	59,639	

150. The analysis of export figures show that export from India has been higher in 2009 compared to 2008. The analysis of production figures excluding that for exports above shows decrease in production and the inventory is on rise. The export realization of Soda Ash is lower than the domestic realization. The domestic industry has primarily been domestic market oriented. Therefore, the export by domestic industries at lower prices is a result of their attempt to reduce growing inventory and improve capacity utilization so that the cost of sale can be reduced. However, increase in export could not mitigate the injury. Therefore, the export has no bearing on injury.

151. **Demand of Soda Ash in India:** The table below gives the market size in India. The analysis of the demand shows that

Table 22

Market Size [Demand](MT)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Q1	5,18,960	5,81,291	5,35,480	5,52,521	6,21,842
Q2	5,51,996	5,26,914	4,75,112	5,35,033	5,54,865
Q3	5,29,349	5,41,789	6,33,516	4,99,931	6,12,515
Q4	5,55,857	5,66,469	6,13,001	5,81,878	

Annual Capacity and Market Size				
	2006	2007	2008	2009
Capacity	24,93,900	25,10,321	28,78,696	28,78,696
Market Size	22,05,851	22,10,577	22,00,486	23,71,100

152. The annual demand in 2008 reduced by 10 Thousand MT compared to 2007 but it increased by 1,70,614 MT in 2009 showing growth by 7.75%. The annual domestic production capacity is 28,78,696 MT, which is sufficient to meet the domestic demand.

153. **Causal Link:** The analysis of annual imports, sales, profit, capacity utilization and share of domestic industry shows that the when imports increased, the inventory increased and

sales, profit and capacity utilization fell. These available soda ash at lower prices in China continue to cause imports and threaten to cause material injury.

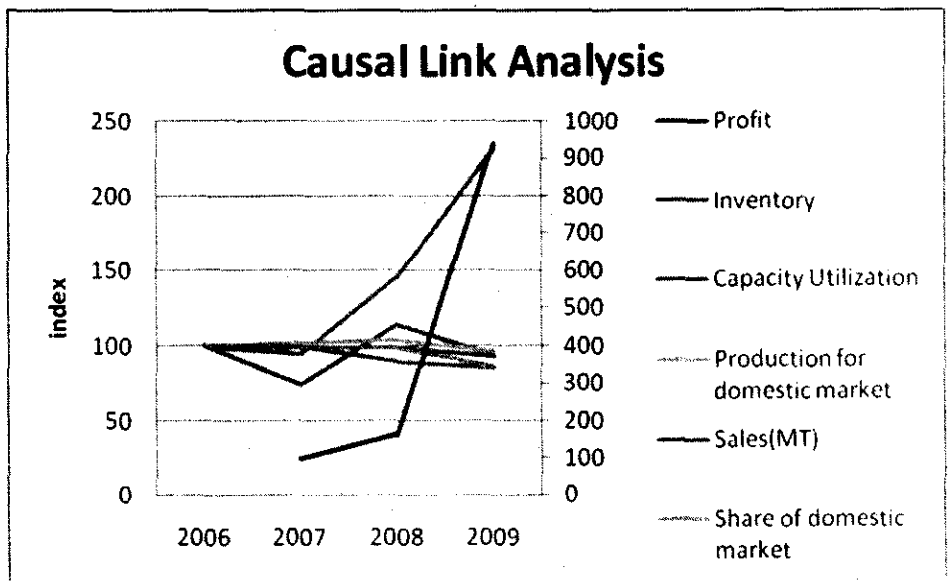

154. **Public Interest:** In an economy there are varying and some time competing interests of different economic players. The imposition of safeguard duty can affect different players differently and the impacts may not always be most suitable for all the different economic players when they have competing interests. Therefore interests of various economic player groups have been analyzed in detail before imposition of definitive safeguard duty.

155. There is no fresh data or information submitted by the interested parties on the issue of public interest other than the similar argument submitted prior to imposition of definitive safeguard duty.

156. **Post December 2009 Developments:** A detailed analysis of all the relevant factors and evidences has been done in earlier paragraphs. However, some of the interested parties have submitted that the prices in China have improved in the year 2010 and referred Harriman Chemsult and other Journals to justify the claim. These journals with their latest update were analyzed.

157. The March 2010 - No. 302 Harriman Chemsult Ltd issue quotes as follows;

"The sharp spike in Chinese soda ash prices that occurred last month has fallen away noticeably in March. Prices of as much as RMB1600/mt ex-works (ca $235/mt) in February have now eased to the region of RMB1450-1550/mt ex-works (ca $210-225/mt) for dense grade and around RMB1400-1450/mt exworks (ca $205-210/mt) for light grade. It now appears that the market was distorted by a combination of special factors last month. The first of these was a number of bottlenecks in the supply chain that had

been caused earlier by freezing cold weather and heavy snow in January. This prevented significant tonnages of product from being moved. There was therefore a delayed knock-on effect in the system that caused many consumers to become anxious for supplies to keep their operations moving.

The second abnormal factor was the impending approach of the Lunar New Year holidays in February. A high proportion of consuming plants were keen to receive supplies to ensure a smooth resumption after the break. This clamour had been intensified by a growing perception that the wider Chinese economy was beginning to move forward at an accelerating pace. Consequently there was a general desire to avoid any shortages that this might provoke. The third factor was the ongoing increase in soda ash producers' costs. Many producers, especially those using the Solvay route, have been operating with negative margins for some extended period of time and there was a growing awareness that the situation was approaching critical proportions for a number of players. Therefore the supply side took full advantage of the tight market conditions to press for higher prices. These factors combined to raise an urgency to procure product in February that was not far short of panic levels in view of the imperative of the approaching factory closures.

However, market sentiment has now calmed down following the restart after the holidays and the road and rail networks have returned to normal operation."

In support of their claim the journal has quoted

"The impression of restricted export availability is also being reinforced by the sudden fall in volumes in January. A total of only 120,000 mt was shipped in that month compared with around 160,000-170,000 mt/month over the period of the previous six months. Moreover, the overwhelming majority of the January deliveries was destined for the Asian region with only a few modest parcels consigned to South America and Africa & the Middle East. In addition to the limited volume availability, it is thought that the firming of freight rates has played a role in the Chinese withdrawal from these former high priority markets of 2009. Thus the January shipments into South America and Africa & the Middle East represent a significant downgrading from the typical rates of 15,000-20,000 mt/month seen during much of last year. Even within the Asian region, the volumes were generally lower than in the recent past. Thus the 2,000 mt shipped to India was the smallest for more than a year and was comparatively insignificant compared with the rates of 40,000-50,000 mt/month last year that triggered the imposition of Indian import duties."

Therefore, the increase in prices in China was primarily on account of supply crunch caused by extreme weather conditions and local factors. These factors affected the domestic prices of China most and even after the supply crunch the soda ash export price remained below US$200/MT FOB. The January price was US$ 160 FOB against US$

155 FOB in December. Now, the factors leading to temporary rise in prices no longer exist and the fall in price has already started as apparent from the domestic price movement in China, as shown in graph below.

China, Domestic Soda Ash Prices
2008-2010, $/mt, dense, delivered

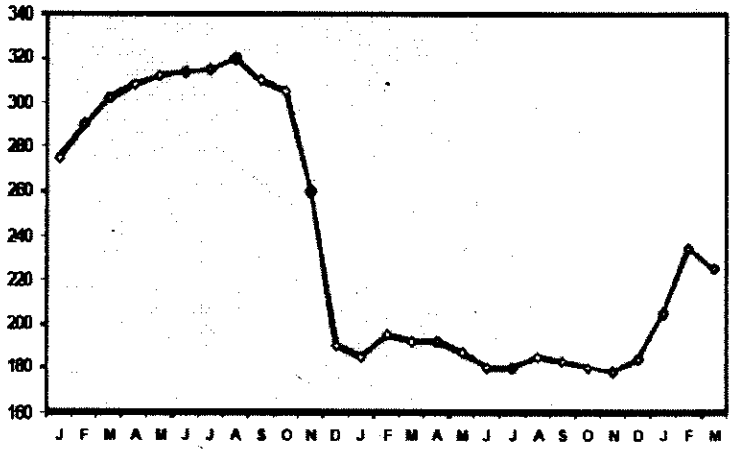

158. Therefore, it is in the public interest to continue imposition of safeguard duty.

Conclusion and Recommendation

159. On the basis of the above findings it is found that the threat of market disruption to the domestic industry continues to exist and continuation of safeguard duty by way of extension of period is necessary to prevent "market disruption'. Accordingly, safeguard duty at the rate and for the period as mentioned below, which is considered to be the minimum required to protect the domestic industry from market disruption, is recommended to be imposed on imports of Soda Ash, falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, when imported into India from the People's Republic of China.

Sl. No	Period	Duty
1	20.04.2010 to 19.04.2011	16%
2	20.04.2011 to 19.04.2012	14%

[F. No. D/22011/05/2010]

I. D. MAJUMDER, Director General (Safeguards)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.